भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-224

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा मिश्रण में जलविद्युत का हिस्सा

***224. श्री राहुल शेवालेः**

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ऊर्जा मिश्रण में जलविद्युत का हिस्सा कम हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अनेक जलविद्युत परियोजनाओं में विलंब हुआ है जिससे विद्युत उत्पादन बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में रुकावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का कम कीमत पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने और वर्ष 2019 तक विद्युत उत्पादन दुगुना करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"ऊर्जा मिश्रण में जल विद्युत का हिस्सा" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : कुल संस्थापित क्षमता में जल विद्युत की प्रतिशतता, जो वर्ष 1962-63 में लगभग 51% (कुल 5,801 मेगावाट में से 2,936 मेगावाट) की अधिकतम क्षमता थी, वह घटकर दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, 3,07,278 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 14% रह गई है।

जल विद्युत के हिस्से में कमी होने के कारणों में बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए ताप विद्युत क्षेत्र में ज्यादा तथा त्वरित क्षमता अभिवृद्धि, जल विद्युत परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, भूवैज्ञानिक विचित्रताएं, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन संबंधी मुद्दे, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में धनराशि संबंधी बाधाएं आदि शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि, जल विद्युत का हिस्सा कुल संस्थापित क्षमता की प्रतिशतता की दृष्टि से घटा है, तथापि संस्थापित क्षमता की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि हुई है।

(ख) : वर्तमान में, 13182 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 44 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है जिनमें से 12966 मेगावाट क्षमता वाली 42 जल विद्युत परियोजनाओं में विलंब हुआ है। परियोजना-वार ब्यौरे/विलंब के कारण **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 22319 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 39 जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सीईए ने सहमति दे दी है जिन्हें पर्यावरण एवं वन स्वीकृति तथा **अनुबंध-II** में दिए गए, अन्य संबंधित मुद्दों, सहित विभिन्न कारणों से, अभी प्रारंभ किया जाना है।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वहनीय विद्युत प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र तथा पारेषण प्रणालियाँ स्थापित कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 31 अक्तूबर, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 88,928.2 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई तथा 30 सितम्बर, 2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 21,128 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।

(ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है।

(iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्तूबर, 2016 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,00,468 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,88,458 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता पूरी की जा चुकी है।

(iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी करके से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।

(v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाएं शुरु की हैं।

(vi) केंद्र सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक तथा आमूल-चूल वित्तीय परिवर्तन के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक स्कीम अधिसूचित की है।

(vii) भारत सरकार ने स्ट्रैंडेड गैस आधारित उत्पादन के प्रचालनीकरण के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता प्रदान कर एक स्कीम शुरू की है।

****

अनुबंध-I

"ऊर्जा मिश्रण में जल विद्युत का हिस्सा" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

****

निर्माणाधीन समय/लागत आधिक्य वाली जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
	केंद्रीय क्षेत्र								
1	तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (मार्च'13)	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 (मार्च'16)	2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 (जून'19)	84	➢ एचआरटी में खराब भूविज्ञान के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश और टीबीएम पर पत्थर गिरे। टीबीएम तीन बार फंसी। ➢ जून, 2013 और अगस्त, 2012 में अचानक बाढ़ से कॉफर डैम को क्षति। ➢ बैराज और एचआरटी की सिविल संविदा की समाप्ति
2	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18 (अग.'17)		2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	48	➢ उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़। ➢ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। ➢ **माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य पर रोक लगाई।**
3	पारे (2x55 = 110 मेगावाट) नीपको	अरुणाचल प्रदेश	1 2	55 55	2012-13 (अग.'12)		2017-18 2017-18	60	➢ कानून-व्यवस्था की समस्या। ➢ कमजोर भूविज्ञान। ➢ खराब पहुंच सड़क। ➢ जून-सितंबर, 2015 के दौरान अचानक बाढ़। बांध क्षेत्र में पानी भर गया, बांध का कंक्रीटिंग कार्य 04 महीने तक बाधित रहा।
4	तुरियल (2x30 = 60 मेगावाट) नीपको	मिजोरम	1 2	30 30	2006-07 2006-07 (जुल.'06) (जन.'14) आरसीई-I	2013-14 2013-14 (जन.'14) आरसीई-I	2017-18 2017-18 (अक्तू.'17)	132	➢ **विगत में स्थानीय विरोध के कारण लगभग सात वर्ष (जून, 2004 से जन.-2011) कार्य लंबित रहा। परिणामस्वरूप संशोधित अनुमोदन (आरसीई-I) जन.-2011 में दिया गया।** ➢ खराब पहुंच सड़क। ➢ पावर हाउस में स्लोप का विफल होना। ➢ ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त जुटाव। ➢ ईएंडएम कार्यों के लिए इरेक्शन ठेकेदार का विलंबित जुटाव।
5	कामेंग (4x150 = 600 मेगावाट) नीपको	अरुणाचल प्रदेश	1 2 3	150 150 150	2009-10 2009-10 2009-10		2017-18 2017-18 2017-18	96	➢ बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। ➢ खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
			4	150	2009-10 (दिसं.'09)		2017-18 (क्रिटिकल) (अक्तू.'17)		एचआरटी में धीमी प्रगति। ➢ अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। ➢ एचआरटी में जल का प्रवेश। ➢ खराब पहुंच सड़क। ➢ संविदात्मक मामले। ➢ मिलावे की कमी। ➢ राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति।
6	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 (जुल.'10)	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 (फर.'16) आरसीई-I	2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 (सितं'19)	108	➢ **एल-1 कीमत बोली के लागत आकलन से ज्यादा होने के कारण आरसीई का अनुमोदन। आरसीई नवंबर, 2011 में अनुमोदित किया गया।** ➢ बोलीकर्ताओं द्वारा मुकदमेबाजी। ➢ खराब भूविज्ञान। ➢ असेना खदान में स्थानीय विरोध। ➢ मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध। ➢ संविदाकर्ता द्वारा खराब तैयारी। ➢ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आऊट का संशोधन।
7	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (सितं.'09)		2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 (दिसं.'08)	108	➢ माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। ➢ संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। ➢ नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और कीचड़ के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। ➢ अप्रैल, 04, जून, 06 और फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्खलन। ➢ 2004, 2005, 2010 और 2011 में अचानक बाढ़। ➢ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ। ➢ संविदा संबंधी मामले
8	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश/असम	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11		2020-21 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	120	➢ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➢ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➢ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➢ रंगानदी नदी पर पुल को क्षति। ➢ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➢ **असम में, परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभ आंदोलन के कारण**

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
									कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूका। ➢ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला। ➢ एनजीटी में मामला।
9	किशनगंगा (3x110 = 330 मेगावाट) एनएचपीसी	जम्मू व कश्मीर	1 2 3	110 110 110	2014-15 2014-15 (जुल.'14) (जन.'16) आरसीई-I	2015-16 2015-16 2015-16 (जन.'16) आरसीई-I	2017-18 2017-18 2017-18	36	➢ **एल-1 मूल्य बोली लागत अनुमान से ज्यादा थी, अतः आरसीई का अनुमोदन। आरसीई जन.-2009 में अनुमोदित हुआ।** ➢ मार्च, 2011 में भारी बारिश। ➢ एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी। ➢ एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान। ➢ अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता कार्यवाहियों के कारण बांध कार्य प्रभावित हुआ। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की मांग। ➢ आरएंडआर मामले। ➢ विद्युत निकासी प्रबंध को पूर्ण करना (पीजीसीआईएल)
10	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जून'13)		2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 (दिसं.'19)	72	➢ अगस्त, 2008 में सीसीईए अनुमोदन परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवार्ड नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी,2014 में कार्य अवार्ड किया गया। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बाधित।
	राज्य क्षेत्र								
11	कशांग-II व III (1x65 + 1x65 मेगावाट) =130 मेगावाट एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	**1*** 2	**65** 65	**2013-14** 2013-14		**चालू** 2019-20 (कार्यों के **पुनः शुरू** होने के अध्यधीन)	72	➢ स्थानीय मुद्दे। एनजीटी में दो अलग-अलग मामलों, जो विचाराधीन हैं, के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका; इनमें से, एक मामले का निर्णय एचपीपीसीएल के पक्ष में किया गया, जबकि दूसरे मामले में एनजीटी के फैसले को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➢ संविदाकार द्वारा कार्य रोक दिया गया। ➢ एनजीटी द्वारा कार्य रोक दिया गया।
12	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल (एचपीएसईबी)	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07		2017-18 2017-18 2017-18	132	➢ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➢ निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब। ➢ खदान स्थलों के स्थानांतरण में विलंब। ➢ कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ संविदाकार द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण अप्रैल, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए संविदा दो बार रद्द की

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
									गई। ➢ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
13	स्वारा कुड्डू (3x37 =111 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	37 37 37	2010-11 2010-11 2010-11		2018-19 2018-19 2018-19	96	➢ एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। ➢ सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ एचआरटी पैकेज के लिए संविदा 09.01.2014 को समाप्त की गई। मैसर्स एचसीसी को नवंबर, 2014 में पुनः अवार्ड की गई।
14	सैंज (2x50 = 100 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2014-15 2014-15		2016-17 2016-17	24	➢ एचआरटी और बैराज कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ स्थानीय मुद्दे।
15	शौंगटोंग करछम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल 16.08.2012	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	150 150 150	2017-18 2017-18 2017-18		2019-20 2019-20 2019-20	24	➢ आर्मी एम्यूनिशन डिपो का स्थानांतरण। ➢ स्थानीय मुद्दे।
16	पुलीचिंताला (4x30 = 120 मेगावाट) टीजीईएनसीओ	तेलंगाना	1* 2 3 4	**30** 30 30 30	**2009-11** 2009-11 2009-11 2009-11		**2016-17** 2016-17 2017-18 2017-18	**चालू** 72 84	➢ ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ अक्तूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अभूतपूर्व बाढ़। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ विद्युत गृह कार्यों की धीमी प्रगति।
17	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम (2x25 = 50 मेगावाट) एपजैंको	आंध्र प्रदेश	1 2	25 25	2008-09 2008-09		2016-17 2016-17	96	➢ वर्ष 2009, 2011 और 2013 के दौरान लगातार बाढ़ के कारण बांध की धीमी प्रगति। ➢ एचएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ बांध कार्यों में संविदा संबंधी मामले। ➢ जल की अनुपलब्धता।
18	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 30	2010-11 2010-11		2019-20 2019-20 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	108	➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➢ एचआरटी तक एडिट के संरेखण में परिवर्तन। ➢ एचआरटी में खराब भू-वैज्ञानिक स्ट्राटा। ➢ भारी मानसून। ➢ संविदा संबंधी मामलों के कारण संविदाकार द्वारा 28.01.2015 से कार्य रोक दिया गया।
19	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 10	2012-13 2012-13		2019-20 2019-20 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	84	➢ भूमि अधिग्रहण मुद्दे। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा वर्ष 2010 से 2012 तक वेयर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। ➢ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2012

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
									से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाई।
20	न्यू उमट्रू (2x20 =40 मेगावाट) एमईपीजीसीएल	मेघालय	1 2	20 20	2011-12 2011-12		2016-18 2016-18	72	➢ कार्यों को प्रारंभ करने में विलंब। ➢ वित्तीय समस्याएं। ➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
21	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	पंजाब	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2017-18		2019-20 (कार्यों को पुनः शुरू करने के अध्यधीन)	24	➢ रावी नदी के पानी के हिस्से और प्रशुल्क के कारण जम्मू व कश्मीर और पंजाब के बीच अंतरराज्य विवाद से 29.08.2014 से डैम का कार्य रोक दिया गया।
22	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1 2	40 40	2017-18 2017-18		2019-20 2019-20 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	24	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ परियोजना लागत बढ़ने के कारण वित्तीय समस्याएं। आरसीई अनुमोदनाधीन।
23	तीस्ता स्टेज-III (6x200 = 1200 मेगावाट) तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	सिक्किम	1 2 3 4 5 6	200 200 200 200 200 200	2011-12 2011-12 2011-12 2011-12 2011-12 2011-12		2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17	60	➢ वन स्वीकृति में विलंब। ➢ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य प्रभावित हुए। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं। ➢ प्रेशर शॉफ्ट कार्यों में विलंब। ➢ विद्युत निकासी व्यवस्था में विलंब। ➢ विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह समस्या के कारण कार्य 13 महीने के लिए रूका।
24	व्यासी 2x60=120 मेगावाट, यूजेवीएनएल	उत्तराखंड	1 2	60 60	2014-15 2014-15		2018-19 2018-19	48	➢ कार्यों को अवार्ड करने में विलंब।
25	पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) पीपीए	आंध्र प्रदेश	1 से 8	80 प्रत्येक	2017-18		2021-22	48	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ वित्तीय समस्याएं। ➢ ईएंडएम कार्यों को अभी अवार्ड किया जाना है।
	निजी क्षेत्र								
26	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2013-14 2013-14		2017-18 2017-18	48	➢ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब, सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को लंबित करना।
27	टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	22 22	2014-15 2014-15		2018-19 2018-19 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	48	➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ खराब भौगोलिक परिस्थिति। ➢ कठिन क्षेत्र। ➢ जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
									समस्याएं।
28	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2012-13 2012-13		2017-18 2017-18	60	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ कठिन क्षेत्र। ➢ मौसमी स्थिति और पहुंच। ➢ वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पैनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज। ➢ ट्रायल रन के दौरान नवं.-15 में पेनस्टॉक सरफेस में दरार।
29	सिंगोली भटवारी (3x33 = 99 मेगावाट) एलएंडटी	उत्तराखंड	1 2 3	33 33 33	2012-13 2012-13 2012-13		2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों को **सक्रिय रूप से शुरू** करने के अध्यधीन)	96	➢ एचआरटी में खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
30	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	उत्तराखंड	1 2	38 38	2013-14 2013-14		2018-19 2018-19 (कार्यों को **सक्रिय रूप से शुरू** करने के अध्यधीन)	60	➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➢ एचआरटी में कमजोर भू-वैज्ञानिक स्थिति।
31	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02		2017-19 (कार्यों को सक्रिय रूप से **शुरू** करने के अध्यधीन)	204	➢ आरएंडआर मुद्दे। ➢ विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह की समस्या।
32	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13		2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	108	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ भूमि अधिग्रहण। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।
33	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	सिक्किम	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12		2018-19 2018-19 2018-19 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	72	➢ खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
34	भास्मे	सिक्किम	1	25.5	2012-13		2019-20	84	➢ वन स्वीकृति।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/(सं.क्ष.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा.)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	समय और लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6		7	8	9
	(2x25.5 =51 मेगावाट) गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर		2	25.5	2012-13		2019-20		➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
35	रोंगनीचू (2x48 =96 मेगावाट) मध्य भारत प्रा. लि.	सिक्किम	1 2	48 48	2015-16 2015-16		2019-20 2019-20	48	➢ भूमि अधिग्रहण। ➢ खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति।
36	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	जम्मू व कश्मीर	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18		2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	48	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ बार-बार स्थानीय बाधा के कारण कार्य दिनांक 11.7.14 से लंबित रहा।
37	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी (पी) लि.	अरुणाचल प्रदेश	1 2	72 72	2017-18 2017-18		2019-20 2019-20 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	24	➢ कार्य दिनांक 22.11.2011 को अवार्ड किया गया। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति दिनांक 19.05.2014 को जारी हुई। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
38	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	60 60 60	2017-18		2019-20	24	➢ कार्यों की धीमी प्रगति।
39	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	सिक्किम	1 2	33 33	2017-18		2019-20 (कार्यों को **पुनः शुरू** करने के अध्यधीन)	24	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
40	पनन 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19		2020-21 (कार्यों को **सक्रिय रूप से शुरू** करने के अध्यधीन)	24	➢ एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति दिसंबर, 2015 में प्राप्त। ➢ एनजीटी द्वारा स्वीकृति।
41	ताशिडिंग 2x48.5=97 मेगावाट शीघा एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2	48.5 48.5	2015-16		2016-17	12	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ स्थानीय मामले।
42	चंजू-I 3x12=36 मेगावाट आईए एनर्जी	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	12 12 12	2014-15		2016-17	24	➢ कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ खराब भौगोलिक स्थिति।
		कुल		**13061**					

*** क्रम सं. 11 (65 मेगावाट) तथा 16 (30 मेगावाट) पर वर्णित प्रत्येक परियोजना की एक यूनिट चालू की जा चुकी है।**

*****

अनुबंध-II

"ऊर्जा मिश्रण में जल विद्युत का हिस्सा" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

****

जल विद्युत स्कीमें, जिन्हें सीईए द्वारा स्वीकृति दी गई तथा निर्माण अभी शुरू किया जाना है

श्रेणी-I: पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति मामलों के कारण लंबित

(क) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई और वन स्वीकृति प्रतीक्षित

दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/ राज्य	एजेंसी	सं. x मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में) पीएल	सीईए की सहमति	निर्माण अवधि/शून्य तिथि	टिप्पणियां
1	मियार/निजी/ हिमाचल प्रदेश	एमएचपीसीएल	3x40	120	1125.16 (पूर्ण)	07.02.2013	110 महीने 05/13	30.07.2012 को ईसी दी गई। एफसी-I 27.07.2013 को दी गई। निधि की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। एफसी-II प्रतीक्षित है। वित्तीय बंदी प्रक्रिया में है।
2	न्यू गंदरवाल/ राज्य/जेएंडके	जेकेएसपीडीसी	3x31	93	965.86 (01/14)	10.6.14	48 महीने 7/14	27.9.13 को ईसी दी गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
3	रूपसिया बागर खसिया बारा/केंद्रीय/ उत्तराखंड	एनटीपीसी	3x87	261	1715.15 (05/08)	16.10.08	64 महीने 12/09	26.03.09 को ईसी दी गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
4	तीस्ता स्टे.- IV/केंद्रीय/ सिक्किम	एनएचपीसी	4x130	520	3594.74 (07/09)	13.05.10	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 74 महीने	09.01.14 को ईसी दी गई। 26.02.2013 को एफसी चरण-I प्राप्त की गई। एफसी चरण-II प्रतीक्षित है।
5	डिबिन/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	केएसकेडीएचपीएल	2x60	120	728.54*	04.12.09	48 महीने 10/10	23.07.12 को ईसी दी गई। 7.2.2012 को एफसी चरण-I दी गई एवं एफसी चरण-II प्रतीक्षित है।
6	नियामजंग छू/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	बीईएल	6x130	780	6115.6*	24.03.11	62 महीने 01/12	19.4.12 को ईसी दी गई। 9.4.2012 को एफसी-I दी गई एवं एफसी-II प्रतीक्षित है।
7	तवांग चरण-I/ केंद्रीय/अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	3x200	600	4824.01 (5/10)	10.10.11	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 78 महीने	10.6.11 को ईसी दी गई। वन स्वीकृति प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 21.08.11 को अग्रेषित किया गया। एफसी-I और II प्रतीक्षित है।
8	टाटो-II/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	टीएचपीपीएल	4x175	700	5616.20 *	22.5.12	72 महीने 01/12	27.6.11 को ईसी दी गई। एफसी सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव आकलन

								अध्ययन से जुड़ा है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
9	तवांग स्टे.-II /केंद्रीय/अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	4x200	800	6112.3 (05/10)	22.09.11	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 83 महीने	10.06.11 को ईसी दी गई। एफसी-I 8.01.14 को दी गई। एफसी-II प्रतीक्षित है।
10	सियोम/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	6x166.67	1000	12100	17.12.13	78 महीने 01/15	31.03.08 को ईसी दी गई। एफसी प्रतीक्षित है। एफसी सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव आकलन अध्ययन से जुड़ा है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
11	कलई-II/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	कलई पीपीएल	5x190+1x190 +1x60	1200	14199.64*	27.3.15	87 महीने, 01/15	ईसी 20.5.15 को दी गई। एफसी प्रतीक्षित है।
12	हियो/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एचएचपीपीएल	3x80	240	1614.35	28.07.15	09/16 से 50 महीने	ईसी 31.03.15 को दी गई। पत्र अभी जारी किया जाना है। एफसी-I 27.10.15 को दी गई। एफसी-II प्रतीक्षित है।
13	टाटो-I/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	3x62	186	1493.55	28.10.15	01.11.16 से 50 महीने	ईसी 10.11.15 को दी गई। एफसी-I 27.10.15 को दी गई। एफसी-II प्रतीक्षित है।
	उप-जोड़			**6620**				

(ख) पर्यावरणीय और वन स्वीकृति दोनों प्रतीक्षित

14	दिखू/निजी/ नागालैंड	एनएमपीपीएल	3x62	186	1994.74 (पूर्ण)	31.03.14	52 महीने 01/16	चूंकि वनभूमि शामिल नहीं है। अतः वन स्वीकृति लागू नहीं। ईसी प्रतीक्षित है।
15	चांगो यांगथांग/निज/ हिमाचल प्रदेश	एमपीसीएल	3x60	180	2077.294 (पूर्ण)	31.03.14	58 महीने 04/15	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
16	छतरू/निजी/ हिमाचल प्रदेश	डीएससी	3x42	126	1386.08 (पूर्ण)	15.1.2015	75 महीने 06/17	24.02.15 को एमओईएफ द्वारा ईसी अनुमोदित की गई है, चरण-I वन स्वीकृति को प्रस्तुत करने के पश्चात् पत्र जारी किया जाएगा। एफसी प्रतीक्षित है।
17	देवसारी/ केंद्रीय/ उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	3x84	252	1558.84 (06/10)	07.08.12	60 महीने, 01/13	ईसी की सिफारिश के लिए ईएसी बैठक 27.12.2011 को आयोजित की गई। एफसी के पश्चात पत्र जारी किया जाएगा।
18	मतनार/राज्य/ छत्तीसगढ़	सीएसपीसीपीएल	3x20	60	313.35 (03/04)	19.08.04		ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
19	लोअर सियांग/ निजी/अरुणाचल	जेएवीएल	9x300	2700	19990.74*	16.02.10	114 महीने 01/11	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।

	प्रदेश							
20	हीरोंग/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	जेएपीएल	4x125	500	5532.63*	10.04.13	78 months 01/14	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है। वन स्वीकृति सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव निर्धारण अध्ययन से जुड़ी है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
21	इटालिन/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	ईएचईपीसीएल	10x307+1x 19.6+1x7.4	3097	25296.95*	12.07.13	84 महीने 10/14	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
22	तालोंगलोंदा/ निजी/अरुणाचल प्रदेश	जीएमआर	3x75	225	2172.88*	16.08.13	60 महीने 11/14	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है। वन स्वीकृति सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव निर्धारण अध्ययन से जुड़ी है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
23	नाईग/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एनडीएससीपीएल	4x250	1000	9301.11	11.09.13	72 महीने 01/15	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है। वन स्वीकृति सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव निर्धारण अध्ययन से जुड़ी है।
24	क्यांशी-I/निजी/ मेघालय	एकेपीपीएल	2x135	270	3154.37 09/2015	31.3.2015	60 महीने 09/16.	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
25	लोअर कोपिली/राज्य/ असम	एपीजीसीएल	2x55+1x5+ 2x2.5	120	1115.91 1/2015	24.05.16	48 महीने 02/16	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
26	किरू/केंद्रीय/जे एंड के	सीवीपीपीएल	4x156	624	4640.88 9/2014	13.06.16	54 महीने 8/16	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
27	टुर्गा पीएसएस/ राज्य/डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबीएसपीसीएल	4X250	1000	4234.90 12/2014	04.08.16 बैठक तारीख	63 महीने 10/17	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
28	सेली/निजी/ हिमाचल प्रदेश	एसएचपीसीएल	4x100	400	4118.59	27.10.16**	88 महीने/06/17	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
29	सच खास/नीज/ हिमाचल प्रदेश	एलएंडटी एचएचपीएल	3x86.67+1x7	267	3390.74	27.10.16**	102 महीने/ 05/18	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
30	टगुरशिट/निजी/ अरुणाचल प्रदे	एलएंडटी	3x24.67	74	717.04	21.10.16**	52 महीने/ 01/17	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।

न्यायाधीन पर्यावरणीय और वन स्वीकृति

31	कोटलीभेल चरण-Iक/ केंद्रीय/एनएचपीसी	एनएचपीसी	3x65	195	1095.77 (12/05)	03.10.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 54 महीने	9.5.2007 को ईसी दी गई। 13.10.201 को एफसी चरण-I दी गई। चरण - II प्रतीक्षित है। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
32	कोटलीभेल चरण-Iख/ केंद्रीय/एनएचपीसी	एनएचपीसी	4x80	320	1806.43 (12/05)	31.10.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 54 महीने	पहले 14.08.07 को ईसी प्रदान की गई जिसे 22.11.10 को वापस लिया गया एमओईएफ द्वारा 07.07.2011 को एफसी अस्वीकृत की गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
33	कोटलीभेल चरण-II/ केंद्रीय/एनएचपीसी	एनएचपीसी	8x66.25	530	2535.86 (03/06)	30.11.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 60 महीने	23.08.2007 को ईसी दी गई। एफसी 05.07.2011 को अस्वीकृत की गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
34	अलकनंदा/निजी/ एनएचपीसी	जीएमआरएल	3x100	300	1415.96*	08.08.08	69 महीने 03/09	ईसी 12.3.08 को दी गई, एफसी-I 8.11.11 को दी गई। एफसी-II 09.11.2012 को दी गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
	उप-जोड़			**1345**				
	कुल (ईएंडएफ स्वीकृति के लिए लंबित)			**19046**				

<u>श्रेणी-II</u>: पर्यावरणीय और वन स्वीकृति दी गई एवं अन्य कारणों से लंबित

35	पकलदुल/ केंद्रीय/जेएंडके	सीवीपीपी	4x250	1000	5088.88 (07/05)	03.10.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 72 महीने	ईसी 29.2.08 को दी गई और एफसी-I 16.5.05 को दी गई और एफसी-II 15.12.15 को दी गई। बोली निर्धारण को अंतिम रूप देने का निर्णय निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन है।
36	कुटेहर/निजी/ हिमाचल प्रदेश	जेएसडब्ल्यूईपीएल	3x80	240	1798.13*	31.8.10	60 महीने 10/11	05.07.2011 को ईसी दी गई। एफसी-I 22.06.2011 को दी गई तथा एफसी-II 19.02.2013 को दी गई। एफसी-II प्राप्त करने और निजी भूमि का अधिग्रहण

								करने में विलंब के कारण आरंभिक बोलियों की वैधता समाप्त हो गई नई बोली आमंत्रित की जा रही हैं।
37	नफ्रा/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एसएनईएल	2x60	120	848.22*	11.02.11	36 महीने 07/11	19.08.13 को ईसी दी गई। एफसी-I 12.07.2011 को दी गई तथा 26.06.2012 को एफसी-II दी गई। वित्तीय बंदी रद्द की गई। वन भूमि के विपथन संबंधी अंतिम आदेशों के लिए परियोजना रूकी हुई है।
38	देमवे लोअर/ निजी/अरुणाचल प्रदेश	एडीपीएल	(5x342 +1x40 मेगावाट)	1750	13144.91*	20.11.09	61 महीने 04/11	ईसी 12.02.10 को दी गई। एफसी 26.07.13 को दी गई। वित्तीय बंदी अभी की जानी है। परियोजना के विरुद्ध एनजीटी में याचिका दायर की गई।
39	अथिरापिल्ली/ राज्य/केरल	केएसईबी	2x80+2x1.5	163	385.63 (2004-05)	31.03.05	42 महीने 03/05	एफसी दी गई। ईसी 9.10.15 को पुनःस्थापित की गई। कार्य अवार्ड करने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
	उप-जोड़ (अन्य कारणों के लिए लंबित)		**3273**					
	कुल			**22319**				

टिप्पणी: स्कीम की संशोधित डीपीआर को प्रस्तुत किए जाने अथवा स्कीम को छोड़े जाने की संभावना के कारण उपर्युक्त सूची से छः परियोजनाओं अर्थात, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग (3000 मेगावाट), मणिपुर में लोकटक डी/एस (66 मेगावाट), मणिपुर में तिपाईमुख (1500 मेगावाट), उत्तराखंड में पाना मनेरी (480 मेगावाट), मिजोरम में कोलोडाइन स्टे.-II (460 मेगावाट) और कर्नाटक में गुंदिया (200 मेगावाट) को निकाला गया है। ओडिशा में ओपीसीएल का जलापुट डैम टो (18 मेगावाट) भी छोटी स्कीम होने के कारण स्कीम से निकाल दिया गया है। उपर्युक्त स्कीमों की कुल क्षमता 5724 मेगावाट है।

(*) सीसी: पूर्णता लागत, ईसी: पर्यावरणीय स्वीकृति, एफसी: वन स्वीकृति, जेवीसी: संयुक्त उद्यम कंपनी।

(**) सहमति बैठक तिथि।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-227

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र हेतु विद्युत उपकरण

***227. श्री दिनेश त्रिवेदीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत परियोजनाओं हेतु विद्युत उपकरणों की घरेलू खरीद हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत 10 वर्षों (2006-2016) के दौरान विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन से आयात किए गए विद्युत उपकरणों की मात्रा और प्रतिशत क्या है;

(ग) मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की विद्युत उपकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में स्थापित विनिर्माण आधार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश में विद्युत उपकरण विनिर्माण के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई बजटीय आबंटन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत क्षेत्र हेतु विद्युत उपकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 227 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने फरवरी, 2010 में केंद्रीय/राज्य क्षेत्र की ताप विद्युत उत्पादक यूटिलिटियों को, सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजनाओं के बॉयलरों तथा टर्बाइन जेनरेटरों के लिए आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में, सफल बोलीदाताओं द्वारा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यकम (पीएमपी) के अनुसार, स्वदेशी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की शर्त शामिल करने के लिए परामर्शिका जारी की है।

इसके अतिरिक्त, सीईए ने मई, 2016 में विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय/राज्य यूटिलिटियों को निम्नलिखित सलाह दी है :

i. घरेलू रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में, उपस्करों/सामग्री की अधिप्राप्ति स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से घरेलू/स्थानीय विनिर्माताओं से की जानी चाहिए। यदि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) ही करनी पड़े तो उद्धृत मूल्य निरपवाद रूप से भारतीय रूपए में ही होना चाहिए ताकि सबको समान अवसर मिले।

ii. घरेलू विनिर्माण क्षमता न होने पर, निविदा प्रक्रिया में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अनुमति दी जाए बशर्ते कि भारतीय बोलीदाता के साथ संघ/जेवी गठित किया गया हो और वे निर्धारित समय-सीमा में भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करें तथा चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का अंतरण सुनिश्चित करें।

(ख) : पिछले 10 वर्षों (2006-2016) के दौरान विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन से आयातित वैद्युत उपस्करों की मात्रा और प्रतिशतता का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

विद्युत मशीनरी और उपस्करों का आयात

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	चीन से आयात	कुल आयात	चीन से आयात का प्रतिशत हिस्सा
2006-07	444.26	2639.65	16.83

2007-08	961.93	4217.81	22.81
2008-09	1028.34	4581.74	22.44
2009-10	1273.78	4403.2	28.93
2010-11	1562.52	5614.72	27.83
2011-12	2049.24	7291.74	28.1
2012-13	1894.79	6353.48	29.82
2013-14	1726.4	5492.46	31.43
2014-15	1835.01	6061.64	30.27
2015-16	2170.23	6040.66	35.93
2016-17 (अप्रैल-सितंबर)*	977.65	3123.5	31.3

* आंकड़े अनंतिम

(ग) : विद्युत क्षेत्र की वैद्युत उपस्कर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विदेशी विनिर्माताओं ने सुपरक्रिटिकल बॉयलरों तथा टरबाइन जेनरेटरों के विनिर्माण के लिए भारतीय भागीदारों वाले निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं :

i. एल एंड टी - मित्सुबिसी हैवी इंडस्ट्रीज (एमएचआई)

ii. एल्स्टोम-भारत फोर्ज

iii. तोशिबा- जेएसडब्ल्यू

iv. थेरमैक्स- बेबकॉक एंड विल्कोक्स

v. दूसन पावर सिस्टम्स

इसके अतिरिक्त, भेल ने भी सुपरक्रिटिकल बॉयलरों तथा टर्बाइन जेनरेटरों के निर्माण के लिए क्रमशः मैसर्स एल्स्टोम तथा साइमन्स के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग प्रारंभ किया है।

(घ) : देश में वैद्युत उपस्करों के विनिर्माण का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का बजटीय आबंटन नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-232

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी वितरण योजना

***232. श्री मनोज तिवारीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एलईडी बल्ब वितरण की योजना और एलईडी आधारित होम एंड स्ट्रीट लाइटिंग के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजनाएं किन राज्यों में कार्यान्वयन के अधीन हैं और इस योजना के आरंभ होने के बाद से अब तक बचायी गयी विद्युत की मात्रा और मूल्य कितना है; और

(ग) क्या सरकार "एलईडी वितरण योजना" के वित्तपोषण और कार्यान्वयन पैटर्न में आमूल-चूल परिवर्तन करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"एलईडी वितरण योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 232 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : दो पहलें, यथा - सबके लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी), शुरू की गई हैं जिनमें क्रमश: घरेलू लाइटों तथा स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लगाई जाती हैं। इसे विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ईईएसएल ने एक नवीन व्यापारिक मॉडल तैयार किया है जिसमें इन कार्यक्रमों में संपूर्ण निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है तथा निवेश को समय के साथ-साथ ऊर्जा बचत से वापस किया जाता है। इस स्कीम में भारत सरकार की कोई सब्सिडी नहीं है। ईईएसएल मांग एकत्रित करता है तथा थोक खरीद का मूल्य-लाभ प्राप्त करने के लिए एलईडी बल्बों की ई-खरीद करती है और यह लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है।

(ख) : जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपर्युक्त स्कीम कार्यान्वयनाधीन है, उनके ब्यौरे वहाँ स्कीम को चालू किए जाने के समय से बचाई गई विद्युत की मात्रा तथा मूल्य सहित **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : उजाला कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है जो भारत सरकार के किसी भी बजटीय आवंटन के बिना चलता है तथा यह संधारणीय व्यापारिक मॉडल पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता दक्ष प्रकाश व्यवस्था की लागत को किसी समयावधि में अपने बिजली बिल की बचत के माध्यम से ऊर्जा एवं अनुरक्षण व्यय की बचत से चुकाता है। "एलईडी वितरण स्कीम" के वित्तपोषण तथा निष्पादन पैटर्न में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

अनुबंध

"एलईडी वितरण योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

****

उजाला स्कीम के अंतर्गत राज्य/यूटी-वार बचाई गई विद्युत, 25.11.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य और यूटी	संवितरित एलईडी बल्बों की संख्या	प्रतिवर्ष बचत की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	प्रतिवर्ष बचत (रुपए करोड़ में)
1	जम्मू व कश्मीर	3,426,861	445.5	178.2
2	पंजाब	57,679	7.5	3.0
3	हरियाणा	7,476,754	972.0	388.8
4	उत्तराखंड	3,378,952	439.3	175.7
5	हिमाचल प्रदेश	6,766,201	879.6	351.8
6	दिल्ली	7,476,754	972.0	388.8
7	उत्तर प्रदेश	11,134,639	1447.5	579.0
8	राजस्थान	11,880,209	1544.4	617.8
9	गुजरात	27,382,053	3559.7	1,423.9
10	मध्य प्रदेश	8,808,846	1145.2	458.1
11	बिहार	7,528,176	978.7	391.5
12	सिक्किम	1,397	0.2	0.1
13	महाराष्ट्र	20,010,593	2601.4	1,040.6
14	झारखंड	7,530,467	979.0	391.6
15	छत्तीसगढ़	5,698,225	740.8	296.3
16	ओडिशा	7,260,892	943.9	377.6
17	नागालैंड	58,238	7.6	3.0
18	असम	439,000	57.1	22.8
19	मेघालय	50,799	6.6	2.6
20	मिजोरम	9,752	1.3	0.5
21	आंध्र प्रदेश	19,025,756	2473.3	989.3
22	पश्चिम बंगाल	340,853	44.3	17.7
23	तेलंगाना	560,485	72.9	29.1
24	गोवा	720,582	93.7	37.5
25	कर्नाटक	13,522,393	1757.9	703.2
26	तमिलनाडु	61,018	7.9	3.2
27	केरल	7,750,299	1007.5	403.0
28	दमन व दीव	95,010	12.4	4.9
29	दादरा व नागर हवेली	81,177	10.6	4.2
30	लक्षद्वीप	100,000	13.0	5.2
31	अंडमान व निकोबार	400,000	52.0	20.8
32	पुडुचेरी	609,251	79.2	31.7
	कुल	**179,643,311**	**23353.6**	**9,341.5**

एसएलएनपी स्कीम के अंतर्गत राज्य/यूटी-वार बचाई गई विद्युत, 25.11.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य और यूटी	प्रतिस्थापित स्ट्रीट लाइटों की सं.	प्रतिवर्ष बचत की गई ऊर्जा (एमयू में)	प्रतिवर्ष बचत (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	557,760	70.863	28.345
2	बिहार	150	0.019	0.008
3	दिल्ली	216,678	27.529	11.012
4	हिमाचल प्रदेश	3,957	0.503	0.201
5	केरल	9,657	1.227	0.491
6	महाराष्ट्र	12,722	1.616	0.646
7	पुडुचेरी	300	0.038	0.015
8	राजस्थान	533,754	67.813	27.125
9	तेलंगाना	2,671	0.339	0.136
10	त्रिपुरा	36,789	4.674	1.870
11	उत्तर प्रदेश	30,823	3.916	1.566
12	असम	4,498	0.571	0.228
13	गुजरात	12,989	1.650	0.660
14	झारखंड	2,800	0.356	0.142
15	मध्य प्रदेश	3,789	0.481	0.192
16	पंजाब	2,812	0.357	0.143
17	पश्चिम बंगाल	300	0.038	0.015
18	जम्मू व कश्मीर	500	0.064	0.026
19	उत्तराखंड	500	0.064	0.026
20	गोवा	400	0.051	0.020
	कुल	**1,433,849**	**182.169**	**72.868**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2538

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन

2538. श्रीमती पूनम महाजनः
श्रीमती एम. वसन्तीः
श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के प्रथम चरण में चिन्हित शहरों के क्या नाम हैं;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार किन शहरों का चयन किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश के शहरों में चयनित स्मार्ट ग्रिड की सभी परियोजनाओं के कार्य का अवार्ड दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास में गति लाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के अन्तर्गत अमरावती (महाराष्ट्र), कांग्रेस नगर (नागपुर), चंडीगढ़ और कानपुर शहरों में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) : राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन 27 मार्च, 2015 को शुरू किया गया था। एनएसजीएम को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए आबंटित निधियां क्रमशः 40 करोड़ रुपए एवं 30 करोड़ रुपए थीं। एनएसजीएम के अन्तर्गत राज्य-वार कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) : एनएसजीएम के अन्तर्गत संस्वीकृत कार्यों का अवार्ड संबंधित राज्यों/विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्य अवार्ड करने का प्रश्न नहीं उठता है। एनएसजीएम परियोजना प्रबंधन ईकाई (एनपीएमयू) देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए राज्यों की सहायता कर रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2549

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत-वितरण कंपनियों द्वारा लिया गया ऋण

2549. श्री रवीन्द्र कुमार जेनाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश के सभी राज्यों में राज्यों द्वारा चलाई जा रही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे देश में लाभ कमाने वाली विद्युत वितरण कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में विद्युत की कमी वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों पर प्रभारित औसत प्रशुल्क संबंधी कोई आंकड़े रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 'राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन' संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के कुल बकाया ऋण नीचे दिए गए हैं :

कुल बकाया ऋण	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
(रुपए करोड़ में)	193,134	229,924	289,220	350,148	391,897

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) : पीएफसी द्वारा प्रकाशित 'राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन' संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री करने वाली निम्नलिखित यूटिलिटियों ने वर्ष 2014-15 में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ प्राप्त किए हैं :

राज्य	**यूटिलिटी**	**सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ (रुपए करोड़ में)**
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	20
दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	63
	बीएसईएस यमुना	19
	टीपीडीडीएल	336
कर्नाटक	बेसकॉम	113
	चेसकॉम	37
	हेसकॉम	30
	मेसकॉम	14
पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	157
गुजरात	डीजीवीसीएल	51
	एमजीवीसीएल	29
	पीजीवीसीएल	11
	यूजीवीसीएल	17

(ग) : विद्युत आपूर्ति स्थिति के अनुसार, अप्रैल, 2016 - अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत कमी रही :

कमी की मात्रा (प्रतिशत में)	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
ऊर्जा कमी 0.7% की अखिल भारतीय औसत कमी से कम अथवा समतुल्य	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, दिल्ली एवं पुडेचेरी।
ऊर्जा कमी 0.7% की अखिल भारतीय औसत कमी से ज्यादा	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह

(घ) और (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए अखिल भारतीय भारित औसत प्रशुल्क (रु./यूनिट) का राज्य-वार और निर्देशात्मक उपभोक्ता श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2549 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उपभोक्ताओं को सीधे ही विक्रय कर रही यूटिलिटियों का कुल बकाया कर्ज

(रु. करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी	15,149	17,559	0	0	0
		एनबीपीडीसीएल	0	0	1,281	1,654	1,776
		एसबीपीडीसीएल	0	0	1,682	2,174	2,040
	बिहार कुल		**15,149**	**17,559**	**2,963**	**3,827**	**3,816**
	झारखण्ड	जेएसईबी	7,869	8,607	9,795	0	0
		जेबीवीएनएल	0	0	0	125	265
	झारखण्ड कुल		**7,869**	**8,607**	**9,795**	**125**	**265**
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	0	0	0	0	0
	सिक्किम कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5,510	7,265	9,197	11,648	12,871
	पश्चिम बंगाल कुल		**5,510**	**7,265**	**9,197**	**11,648**	**12,871**
पूर्वी कुल			**28,527**	**33,431**	**21,954**	**15,601**	**16,951**
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	88	88	0	0	0
	अरुणाचल प्रदेश कुल		**88**	**88**	**0**	**0**	**0**
	असम	एपीडीसएल	573	747	1,351	1,591	2,260
	असम कुल		**573**	**747**	**1,351**	**1,591**	**2,260**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	87	81	79	0	0
		एमएसपीडीसीएल	0	0	0	0	0
	मणिपुर कुल		**87**	**81**	**79**	**0**	**0**
	मेघालय	एमईईसीएल	1,187	1,495	0	0	0
		एमईपीडीसीएल	0	0	324	266	388
	मेघालय कुल		**1,187**	**1,495**	**324**	**266**	**388**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	143	42	39	37	32
	मिजोरम कुल		**143**	**42**	**39**	**37**	**32**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	169	144	150	0	328
	नागालैंड कुल		**169**	**144**	**150**	**0**	**328**
	त्रिपुरा	त्रिपुरा पीडी	191	143	0	0	0
		टीएसईसीएल	0	0	204	204	237
	त्रिपुरा कुल		**191**	**143**	**204**	**204**	**237**
पूर्वोत्तर कुल			**2,438**	**2,740**	**2,148**	**2,099**	**3,246**
उत्तरी	**हरियाणा**	डीएचबीवीएनएल	4,822	5,347	8,056	10,750	14,659
		यूएचबीवीएनएल	10,195	10,685	14,515	17,950	19,425
	हरियाणा कुल		**15,016**	**16,033**	**22,571**	**28,700**	**34,085**
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	0	0	0	0	0
		एचपीएसईबी लिमिटेड	4,178	4,234	4,522	4,374	4,590
	हिमाचल प्रदेश कुल		**4,178**	**4,234**	**4,522**	**4,374**	**4,590**
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	122	150	147	152	166
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		**122**	**150**	**147**	**152**	**166**
	पंजाब	पीएसपीसीएल	20,517	18,957	19,795	19,771	21,903
	पंजाब कुल		**20,517**	**18,957**	**19,795**	**19,771**	**21,903**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	15,122	18,359	22,667	24,812	27,017
		जेडीवीवीएनएल	13,335	16,021	20,954	23,493	25,956

		जेवीवीएनएल	14,049	16,496	20,520	24,553	28,176
	राजस्थान कुल		**42,506**	**50,876**	**64,141**	**72,858**	**81,149**
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	1,359	1,521	10,503	17,950	20,477
		केईएससीओ	365	355	1,979	3,160	3,151
		एमवीवीएन	1,226	1,289	6,642	10,163	10,704
		पश्च वीवीएन	1,266	1,452	6,819	9,956	9,941
		पूर्व वीवीएन	1,184	1,245	7,694	12,370	12,709
	उत्तर प्रदेश कुल		**5,400**	**5,863**	**33,637**	**53,599**	**56,982**
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	1,202	1,712	1,344	1,201	1,388
	उत्तराखण्ड कुल		**1,202**	**1,712**	**1,344**	**1,201**	**1,388**
उत्तरी कुल			**88,941**	**97,826**	**146,157**	**180,655**	**200,264**
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	5,510	6,772	7,808	8,793	0
		एपीईपीडीसीएल	3,188	3,265	3,233	3,554	3,879
		एपीएनपीडीसीएल	3,372	3,773	4,159	4,306	0
		एपीएसपीडीसीएल	4,736	5,604	6,302	6,913	9,958
	आंध्र प्रदेश कुल		**16,807**	**19,414**	**21,502**	**23,567**	**13,837**
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	1,765	2,327	3,419	4,524	5,489
		सीएचईएससीओएम	297	320	336	539	964
		जीईएससीओएम	578	477	455	582	726
		एचईएससीओएम	1,537	1,315	1,126	1,343	1,983
		एमईएससीओएम	381	485	453	631	677
	कर्नाटक कुल		**4,558**	**4,924**	**5,789**	**7,619**	**9,838**
	केरल	केएसईबी	1,384	2,471	4,077	0	0
		केएसईबीएल	0	0	0	5,261	5,810
	केरल कुल		**1,384**	**2,471**	**4,077**	**5,261**	**5,810**
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	0	0	0	0	0
	पुडुचेरी		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	तमिलनाडु	टीएनईबी	0	0	0	0	0
		टांजैडको	24,466	34,380	45,198	66,105	75,467
	तमिलनाडु कुल		**24,466**	**34,380**	**45,198**	**66,105**	**75,467**
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	0	0	0	0	4,867
		टीएसएसपीडीसीएल	0	0	0	0	7,059
	तेलंगाना कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**11,926**
दक्षिणी कुल			**47,214**	**61,190**	**76,566**	**102,552**	**116,877**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	469	616	1,052	1,502	1,907
	छत्तीसगढ़ कुल		**469**	**616**	**1,052**	**1,502**	**1,907**
	गोवा	गोवा पीडी	113	71	109	97	54
	गोवा कुल		**113**	**71**	**109**	**97**	**54**
	गुजरात	डीजीवीसीएल	321	230	274	271	223
		एमजीवीसीएल	471	354	335	275	302
		पीजीवीसीएल	802	621	1,278	1,047	1,136
		यूजीवीसीएल	437	299	536	431	524
	गुजरात कुल		**2,032**	**1,503**	**2,423**	**2,024**	**2,186**
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	4,253	5,762	7,593	9,604	11,762
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	4,642	6,100	7,055	8,346	9,807
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	4,432	6,139	8,038	9,966	11,822
	मध्य प्रदेश कुल		**13,327**	**18,000**	**22,685**	**27,916**	**33,391**
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	10,074	14,548	16,127	17,703	17,021
	महाराष्ट्र कुल		**10,074**	**14,548**	**16,127**	**17,703**	**17,021**
पश्चिमी कुल			**26,013**	**34,738**	**42,396**	**49,242**	**54,559**
सकल योग			**193,134**	**229,924**	**289,220**	**350,148**	**391,897**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2549 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

(रु. करोड़ में)

अखिल भारतीय भारित औसत प्रशुल्क (रु./यूनिट)				
घरेलू 2 किलोवाट (200 यूनिट/माह)				
यूटिलिटी का नाम	**से प्रभावी प्रशुल्क**	**औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)**	**लेवी/कर (पी/केडब्ल्यूएच)**	**कुल (पी/केडब्ल्यूएच)**
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	01.04.2015	300	15	315
आंध्र प्रदेश	01.04.2014	327.5	6	334
अरुणाचल प्रदेश	01.04.2015	400	0	400
असम	01.12.2013	462.8	10	473
बिहार (शहरी क्षेत्र)	01.04.2015	367.5	22	390
(ग्रामीण क्षेत्र)		252.5	15	268
चंडीगढ़	01.04.2015	284.5	9	294
छत्तीसगढ़	01.07.2015	310	25	335
दादरा व नागर हवेली	01.04.2014	165	0	165
दमन व दीव	01.04.2014	165	0	165
दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल-टीपीडीडीएल)	01.10.2015	420	21	441
दिल्ली-(एनडीएमसी)	01.10.2015	345	17	362
गोवा	01.04.2014	155	20	175
गुजरात (शहरी क्षेत्र)	01.04.2015	388.75	58	447
(ग्रामीण क्षेत्र)		348.75	26	375
गुजरात-(टोरेंट पावर लि. अहमदाबाद)	01.04.2015	385	58	443
गुजरात-(टोरेंट पावर लि., सूरत)	01.04.2015	396.25	59	456
हरियाणा	01.04.2015	473.75	10	484
हिमाचल प्रदेश	01.04.2015	403.75	12	416
जम्मू व कश्मीर	01.04.2015	182	18	200
झारखंड (शहरी क्षेत्र)	01.08.2012	260	20	280
(ग्रामीण क्षेत्र)		252.5	20	273
कर्नाटक	01.05.2014			
ब्रुहट बैंगलोर महानगर पालिका, म्युनिसिपल कारपो. और सभी शहरी		473	28	501
ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र		436	26	462
केरल	16.08.2014	420	40	460
लक्षद्वीप	01.04.2015	192.5	0	193
मध्य प्रदेश (शहरी क्षेत्र)	17.04.2015	566.25	59	626
(ग्रामीण क्षेत्र)		536.25	56	593
महाराष्ट्र	01.06.2015	623.5	100	723
महाराष्ट्र - मुंबई-(बी.ई.एस.टी.)	01.06.2015	876.5	156	1033
महाराष्ट्र - मुंबई-(रिलायंस एनर्जी)	01.06.2015	604	113	717
महाराष्ट्र - मुंबई-(टाटा)	01.06.2015	350.5	72	423
मणिपुर	27.02.2015	380	0	380
मिजोरम	01.04.2015	352.5	0	353
मेघालय	01.04.2013	315	5	320

नागालैंड	01.04.2015	485.25	0	485
ओडिशा	01.04.2015	377.5	15	393
पुडुचेरी	01.04.2014	135	0	135
पंजाब	01.04.2015	533	69	602
राजस्थान	01.02.2015	602.5	55	571
सिक्किम	01.04.2015	256.25	0	256
तमिलनाडु	12.12.2014	257.5	0	258
त्रिपुरा	01.04.2014	556.25	0	556
उत्तराखंड	01.04.2015	290	15	305
उत्तर प्रदेश (शहरी)	01.04.2015	543.75	5	549
(ग्रामीण)		270	5	275
पश्चिम बंगाल (शहरी)	01.04.2015	660.11	0	660
(ग्रामीण)		637.31	0	637
पश्चिम बंगाल - (सीईएससी लि., कोलकाता)	01.04.2015	657.19	0	657
पश्चिम बंगाल - (डीपीएससी लि.)	01.04.2013	417.11	0	417
पश्चिम बंगाल-दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2015	448.99	0	449
तेलंगाना	01.04.2015	327.50	6	334

वाणिज्यिक 20 किलोवाट (3000 यूनिट/माह)				
यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी प्रशुल्क	औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)	लेवी/कर (पी/केडब्ल्यूएच)	कुल (पी/केडब्ल्यूएच)
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	01.04.2015	777.83	38.89	817
आंध्र प्रदेश	01.04.2014	930.58	6.00	937
अरुणाचल प्रदेश	01.04.2015	500.00	0.00	500
असम	01.12.2013	688.33	10.00	698
बिहार	01.04.2015	588.00	35.28	623
चंडीगढ़	01.04.2015	516.33	11.00	527
छत्तीसगढ़	01.07.2015	676.67	81.20	758
दादरा व नागर हवेली	01.04.2014	332.33	0.00	332
दमन व दीव	01.04.2014	361.67	0.00	362
दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल-टीपीडीडीएल)	01.10.2015	1029.63	51.48	1081
दिल्ली-(एनडीएमसी)	01.10.2015	1017.65	50.88	1069
गोवा	01.04.2014	430.50	70.00	501
गुजरात	01.04.2015	510.00	127.50	638
गुजरात-(टोरेंट पावर लि. अहमदाबाद)	01.04.2015	586.67	146.67	733
गुजरात-(टोरेंट पावर लि., सूरत)	01.04.2015	599.81	149.95	750
हरियाणा	01.04.2015	675.00	10.00	685
हिमाचल प्रदेश	01.04.2015	482.26	38.58	521
जम्मू व कश्मीर	01.04.2015	518.33	51.83	570
झारखंड	01.08.2012	641.67	29.50	671
कर्नाटक	01.05.2014			
ब्रुहट बैंगलोर महानगर पालिका, म्युनिसिपल कारपो. और सभी शहरी		800.00	48.00	848
ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र		743.33	44.60	788
केरल	16.08.2014	1010.00	93.00	1103
लक्षद्वीप	01.04.2015	690.83	0.00	691
मध्य प्रदेश (शहरी क्षेत्र)	17.04.2015	713.33	106.29	820
(ग्रामीण क्षेत्र)		696.67	103.80	800
महाराष्ट्र	01.06.2015	949.20	208.33	1158
महाराष्ट्र - मुंबई-(बी.ई.एस.टी.)	01.06.2015	1269.67	290.63	1560
महाराष्ट्र - मुंबई-(रिलायंस एनर्जी)	01.06.2015	815.17	195.19	1010
महाराष्ट्र - मुंबई-(टाटा)	01.06.2015	879.17	208.63	1088
मणिपुर	27.02.2015	595.17	0.00	595
मिजोरम	01.04.2015	560.33	0.00	560
मेघालय	01.04.2013	535.33	6.00	541
नागालैंड	01.04.2015	829.00	0.00	829
ओडिशा	01.04.2015	690.33	27.61	718
पुडुचेरी	01.04.2014	532.50	0.00	533
पंजाब	01.04.2015	674.27	87.65	762
राजस्थान	01.02.2015	838.33	65.00	770
सिक्किम	01.04.2015	558.65	0.00	559
तमिलनाडु	12.12.2014	802.25	40.11	842
त्रिपुरा	01.04.2014	768.33	0.00	768
उत्तराखंड	01.04.2015	515.00	15.00	530
उत्तर प्रदेश (शहरी)	01.04.2015	866.00	5.00	871
(ग्रामीण)		343.33	5.00	348
पश्चिम बंगाल (शहरी)	01.04.2015	870.26	130.54	1001
(ग्रामीण)		870.20	130.53	1001
पश्चिम बंगाल - (सीईएससी लि., कोलकाता)	01.04.2015	891.75	133.76	1026
पश्चिम बंगाल - (डीपीएससी लि.)	01.04.2013	444.89	66.73	512
पश्चिम बंगाल-दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2015	517.03	77.55	595
तेलंगाना	01.04.2015	985.00	6.00	991

कृषि 3 एचपी (600 यूनिट/माह)				
यूटिलिटी का नाम	**से प्रभावी प्रशुल्क**	**औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)**	**लेवी/कर (पी/केडब्ल्यूएच)**	**कुल (पी/केडब्ल्यूएच)**
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	01.04.2015	140.00	7.0	147
आंध्र प्रदेश	01.04.2014			
मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) के साथ				
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		5.00	0.0	5
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		5.00	0.0	5
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		76.88	0.0	77
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		76.88	0.0	77
मुख्य किसान और आईटी आंकलित		255.00	0.0	255
मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) को छोड़कर				
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		76.88	0.0	77
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		76.88	0.0	77
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		148.75	0.0	149
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		148.75	0.0	149
मुख्य किसान और आईटी आंकलित		355.00	0.0	355
अरुणाचल प्रदेश	01.04.2015	310.00	0.0	310
असम	01.12.2013	386.19	10.0	396
बिहार (शहरी क्षेत्र)	01.04.2015	170.00	4.0	174
(ग्रामीण क्षेत्र)		110.00	4.0	114
चंडीगढ़	01.04.2015	230.00	0.0	230
छत्तीसगढ़	01.07.2015	350.00	0.0	350
दादरा व नागर हवेली	01.04.2014	70.00	0.0	70
दमन व दीव	01.04.2014	70.00	0.0	70
दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल-टीपीडीडीएल)	01.10.2015	282.46	14.1	297
गोवा	01.04.2014	120.00	20.0	140
गुजरात	01.04.2015	202.50	0.0	203
गुजरात-(टोरेंट पावर लि. अहमदाबाद)	01.04.2015	330.00	0.0	330
गुजरात-(टोरेंट पावर लि., सूरत)	01.04.2015	70.00	0.0	70
हरियाणा	01.04.2015	10.00	0.0	10
हिमाचल प्रदेश	01.04.2015	358.33	35.8	394
जम्मू व कश्मीर	01.04.2015	67.50	6.8	74
झारखंड	01.08.2012	60.00	2.0	62
कर्नाटक	01.05.2014	0.00	0.0	0
केरल	16.08.2014	202.98	20.0	223
मध्य प्रदेश	17.04.2015	387.50	0.0	388
महाराष्ट्र	01.06.2015	268.00	0.0	268
महाराष्ट्र - मुंबई-(रिलायंस एनर्जी)	01.06.2015	327.50	0.0	328
मणिपुर	27.02.2015	327.38	0.0	327
मिजोरम	01.04.2015	186.19	0.0	186
मेघालय	01.04.2013	179.92	6.0	186
नागालैंड	01.04.2015	290.00	0.0	290
ओडिशा	01.04.2015	150.00	3.0	153
पंजाब	01.04.2015	458.00	59.5	518
राजस्थान	01.02.2015	457.50	4.0	405
सिक्किम	01.04.2015	265.83	0.0	266
तमिलनाडु	12.12.2014	0.00	0.0	0
त्रिपुरा	01.04.2014	366.19	0.0	366
उत्तराखंड	01.04.2015	140.00	15.0	155

उत्तर प्रदेश (शहरी)	01.04.2015	557.50	7.5	565
(ग्रामीण)		115.00	7.5	123
पश्चिम बंगाल	01.04.2015	467.29	0.0	467
पश्चिम बंगाल - (डीपीएससी लि.)	01.04.2013			
(06.00 घंटे से 17.00 घंटे)		278.95	0.0	279
(17.00 घंटे से 23.00 घंटे)		658.95	0.0	659
(23.00 घंटे से 06.00 घंटे)		187.95	0.0	188
पश्चिम बंगाल-दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2015			
(06.00 घंटे से 17.00 घंटे)		318.29	0.0	318
(17.00 घंटे से 23.00 घंटे)		628.29	0.0	628
(23.00 घंटे से 06.00 घंटे)		179.29	0.0	179
तेलंगाना	01.04.2015			
मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) के साथ				
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		5.00	0.0	5
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		5.00	0.0	5
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		76.88	0.0	77
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		76.88	0.0	77
मुख्य किसान और आईटी आंकलित		255.00	0.0	255
मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) को छोड़कर				
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		76.88	0.0	77
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		76.88	0.0	77
शुष्क भूमि किसान (कनेक्शन <=3)		148.75	0.0	149
नम भूमि किसान (होल्डिंग <=2.5 एकड़)		148.75	0.0	149
मुख्य किसान और आईटी आंकलित		355.00	0.0	355

मध्य उद्योग 50 किलोवाट (7500 यूनिट/माह)				
यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी प्रशुल्क	औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)	लेवी/कर (पी/केडब्ल्यूएच)	कुल (पी/केडब्ल्यूएच)
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	01.04.2015	546.00	27	573
आंध्र प्रदेश	01.04.2014	643.75	6	650
अरुणाचल प्रदेश	01.04.2015	420.00	0	420
असम	01.12.2013	593.43	9	602
बिहार	01.04.2015	683.30	41	724
चंडीगढ़	01.04.2015	500.00	11	511
छत्तीसगढ़	01.07.2015	535.11	21	557
दादरा व नागर हवेली	01.04.2014	367.34	0	367
दमन व दीव	01.04.2014	372.34	0	372
दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल-टीपीडीडीएल)	01.10.2015	944.44	47	992
दिल्ली-(एनडीएमसी)	01.10.2015	850.98	43	894
गोवा	01.04.2014	320.00	70	390
गुजरात	01.04.2015	535.33	54	589
गुजरात-(टोरेंट पावर लि. अहमदाबाद)	01.04.2015	586.67	59	645
गुजरात-(टोरेंट पावर लि., सूरत)	01.04.2015	599.81	60	660
हरियाणा	01.04.2015	713.33	10	723
हिमाचल प्रदेश	01.04.2015	574.07	63	637
जम्मू व कश्मीर	01.04.2015	331.33	33	364
झारखंड	01.08.2012	606.18	5	611
कर्नाटक	01.05.2014			
ब्रुहट बैंगलोर महानगर पालिका, म्युनिसिपल कारपो. और सभी शहरी		675.97	41	717
ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र		645.03	39	684
केरल	16.08.2014	603.33	52	655
लक्षद्वीप	01.04.2015	517.22	0	517
मध्य प्रदेश (शहरी क्षेत्र)	17.04.2015	743.33	67	810
(ग्रामीण क्षेत्र)		743.33	67	810
महाराष्ट्र	01.06.2015	799.11	83	882
महाराष्ट्र - मुंबई-(बी.ई.एस.टी.)	01.06.2015	1213.15	137	1350
महाराष्ट्र - मुंबई-(रिलायंस एनर्जी)	01.06.2015	1038.96	121	1160
महाराष्ट्र - मुंबई-(टाटा)	01.06.2015	1016.96	119	1136
मणिपुर	27.02.2015	474.07	0	474
मिजोरम	01.04.2015	467.06	0	467
मेघालय	01.04.2013	466.67	5	472
नागालैंड	01.04.2015	600.67	0	601
ओडिशा	01.04.2015	560.00	34	594
पुडुचेरी	01.04.2014	448.13	0	448
पंजाब	01.04.2015	587.00	76	663
राजस्थान	01.02.2015	687.56	65	644
सिक्किम	01.04.2015	437.25	0	437
तमिलनाडु	12.12.2014	635.47	32	667
त्रिपुरा	01.04.2014	764.00	0	764
उत्तराखंड	01.04.2015	376.00	20	396
उत्तर प्रदेश (शहरी)	01.04.2015	860.00	5	865
(ग्रामीण)		795.50	5	801
पश्चिम बंगाल (शहरी)	01.04.2015	770.89	96	867
(ग्रामीण)		752.56	94	847
पश्चिम बंगाल - (सीईएससी लि., कोलकाता)	01.04.2015	771.85	96	868
पश्चिम बंगाल - (डीपीएससी लि.)	01.04.2013	494.30	62	556
पश्चिम बंगाल-दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2015	508.49	64	572
तेलंगाना	01.04.2015	677.86	6	684

बड़े उद्योग 10000 किलोवाट 40% एलएफ (2920000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)				
यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी प्रशुल्क	औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)	लेवी/कर (पी/केडब्ल्यूएच)	कुल (पी/केडब्ल्यूएच)
आंध्र प्रदेश	01.04.2014	729.37	6	735
अरुणाचल प्रदेश	01.04.2015	375.00	0	375
असम	01.12.2013	586.78	7	594
चंडीगढ़	01.04.2015	582.43	11	593
छत्तीसगढ़	01.07.2015	555.62	111	667
दादरा व नागर हवेली	01.04.2014	459.95	0	460
दमन व दीव	01.04.2014	509.95	0	510
दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल-टीपीडीडीएल)	01.10.2015	869.79	43	913
दिल्ली-(एनडीएमसी)	01.10.2015	891.54	45	936
गोवा	01.04.2014	406.10	70	476
गुजरात	01.04.2015	618.50	93	711
गुजरात-(टोरेंट पावर लि. अहमदाबाद)	01.04.2015	559.73	71	543
गुजरात-(टोरेंट पावर लि., सूरत)	01.04.2015	588.45	88	677
हरियाणा	01.04.2015	591.24	10	601
हिमाचल प्रदेश	01.04.2015	599.85	66	666
जम्मू व कश्मीर	01.04.2015	367.67	37	404
झारखंड	01.08.2012	490.19	5	495
कर्नाटक	01.05.2014			
ब्रुहट बैंगलोर महानगर पालिका, म्युनिसिपल कारपो. और सभी शहरी		682.12	41	723
ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र		663.66	40	703
केरल	16.08.2014	634.16	10	644
लक्षद्वीप	01.04.2015	698.05	0	698
मध्य प्रदेश	17.04.2015	681.54	102	784
महाराष्ट्र (निरंतर उद्योग)	01.06.2015	804.71	84	889
(गैर-निरंतर उद्योग)		754.71	79	834
महाराष्ट्र - मुंबई-(बी.ई.एस.टी.)	01.06.2015	1035.10	120	1155
महाराष्ट्र - मुंबई-(रिलायंस एनर्जी)	01.06.2015	1008.71	118	1127
महाराष्ट्र - मुंबई-(टाटा)	01.06.2015	1012.71	118	1131
मणिपुर	27.02.2015	503.05	0	503
मिजोरम	01.04.2015	434.17	0	434
मेघालय	01.04.2013	501.56	3	505
नागालैंड	01.04.2015	659.85	0	660
ओडिशा	01.04.2015	598.07	40	638
पंजाब	01.04.2015	614.00	80	694
सिक्किम	01.04.2015	601.38	0	601
तमिलनाडु	12.12.2014	778.18	39	817
उत्तराखंड	01.04.2015	516.84	25	542
उत्तर प्रदेश (शहरी)	01.04.2015	883.08	5	888
(ग्रामीण)		816.85	5	822
पश्चिम बंगाल	01.04.2015	807.77	121	929
पश्चिम बंगाल - (सीईएससी लि., कोलकाता)	01.04.2015	774.77	116	891
पश्चिम बंगाल - (डीपीएससी लि.)	01.04.2013	620.35	93	713
पश्चिम बंगाल-दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2015	554.77	83	638
तेलंगाना	01.04.2015	765.00	6	771

रेलवे ट्रैक्शन 12500 किलोवाट (2500000 यूनिट/माह)				
यूटिलिटी का नाम	**से प्रभावी प्रशुल्क**	**औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)**	**लेवी/कर (पी/केडब्ल्यूएच)**	**कुल (पी/केडब्ल्यूएच)**
आंध्र प्रदेश	01.04.2014	669.52	0.0	670
बिहार (25 केवी पर)	01.04.2015	703.33	42.2	746
(132 केवी पर)		703.33	42.2	746
छत्तीसगढ़ (132 केवी पर)	01.07.2015	666.67	0.0	667
दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल-टीपीडीडीएल)	01.10.2015	841.22	0.0	841
दिल्ली-(एनडीएमसी) (33 केवी पर)	01.10.2015	868.24	43.4	912
गुजरात (132 केवी पर)	01.04.2015	600.00	0.0	600
हरियाणा	01.04.2015			
11 केवी पर		612.62	0.0	613
33 केवी पर		604.12	0.0	604
66/132 केवी पर		595.62	0.0	596
220 केवी पर		587.12	0.0	587
झारखंड (25 केवी पर)	01.08.2012	669.41	15.0	684
कर्नाटक	01.05.2014	640.00	38.4	678
केरल (110 केवी पर)	16.08.2014	618.89	0.0	619
मध्य प्रदेश (132/220 केवी पर)	17.04.2015	695.56	0.0	696
महाराष्ट्र	01.06.2015	846.00	0.0	846
महाराष्ट्र - मुंबई-(टाटा)	01.06.2015			
(22/33 केवी पर)		977.22	0.0	977
(100 केवी पर)		965.22	0.0	965
ओडिशा (25/33 केवी पर)	01.04.2015	640.88	0.0	641
(132 केवी पर)		640.90	0.0	641
पंजाब (132 केवी पर)	01.04.2015	655.00	85.2	740
राजस्थान	01.02.2015	744.44	0.0	628
तमिलनाडु	12.12.2014	801.67	0.0	802
उत्तर प्रदेश	01.04.2015	541.18	0.0	541
उत्तर प्रदेश (132 केवी और उससे अधिक)	01.04.2015	911.76	0.0	912
(132 केवी से कम)		947.06	0.0	947
पश्चिम बंगाल (25 केवी पर)	01.04.2015	866.78	0.0	867
(132 केवी पर)		844.78	0.0	845
पश्चिम बंगाल - (सीईएससी लि., कोलकाता)	01.04.2015	736.89	0.0	737
पश्चिम बंगाल - (डीपीएससी लि.)	01.04.2013	708.11	0.0	708
पश्चिम बंगाल-डीवीसी (132 केवी पर)	01.09.2014	481.18	0.0	481
पश्चिम बंगाल-दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2015			
(25 केवी पर)		647.78	0.0	648
(132 केवी पर)		642.78	0.0	643
तेलंगाना	01.04.2015	669.52	0.0	670

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2552

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी वितरण योजना

2552. श्री वी. पन्नीरसेलवमः

डॉ. रत्ना डे (नाग):

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का एलईडी वितरण योजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के तरीके में आमूल परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो;

(घ) क्या इस पहल से पिछड़े, ग्रामीण, अर्द्ध- नगरीय और सुदूर क्षेत्रों में विद्युत का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : "एलईडी वितरण योजना" के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसका कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है। सभी (उजाला) कार्यक्रम के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और एक स्थायी व्यावसायिक मॉडल पर आधारित है जहां दक्ष प्रकाश व्यवस्था की लागत का पुनः भुगतान

उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा में बचतों से किया जाता है और अपने बिजली के बिल में बचतों के माध्यम से कुछ समय से अनुरक्षण व्यय से किया जाता है। समग्र अपफ्रंट निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है जो पूरे देश में कुल मांग तय करता है और खुदरा बाजार की तुलना में कम दरों पर घरेलू उपभोक्ताओं को आगे वितरित करने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी बल्ब की खरीद करता है। कुल मांग और थोक खरीद के परिणामस्वरूप एलईडी बल्बों की खरीद कीमतों में 310/- रुपए (फरवरी, 2014) से 38/- रुपए (अगस्त, 2016) (खुदरा कीमत 550/- रुपए से 65/- रुपए तक कम हो गई) तक लगभग 88% की कमी हुई जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिला।

(घ) और (ङ) : उजाला स्कीम में पिछले, ग्रामीण अर्द्धशहरी और दूर-दराज के क्षेत्र शामिल हैं। ईईएसएल ने मार्च, 2019 तक 77 करोड़ तापदीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलने के कार्यक्रम का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन शुरू किया है। इससे बचाई गई आकलित क्षमता 20,000 मेगावाट की होगी और 100 बिलियन किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष की बचत होगी। दिनांक 21.11.2016 तक की स्थिति के अनुसार, 17.90 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण पूरे देश में किया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 4,656 मेगावाट का क्षमता उत्पादन बचाया गया तथा 23.25 बिलियन किलोवाट घंटा की बचत हुई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2557

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्र

2557. श्री अश्विनी कुमारः
श्री सदाशिव लोखंडेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्ववर्ती और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत, स्थापित, स्थापित की जा रही और लंबित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार लागत क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से हरियाणा में और अधिक विद्युत संयंत्र लगाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादक कम्पनी यदि ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है तो वह उत्पादक कंपनी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बगैर उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में 11वीं योजना एवं 12वीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत, स्थापित, स्थापित की जा रही और लंबित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(i) 11वीं एवं 12वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-**I पर दी गई है।

(ii) विभिन्न राज्यों में स्थापित की जा रही ताप (केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र) और जल विद्युत परियोजनाओं की सूची क्रमशः **अनुबंध-**II और **अनुबंध-**III पर दी गई है।

(iii) जल विद्युत परियोजनाएं जो सहमति/मूल्यांकन के लिए सीईए के पास है, की सूची **अनुबंध-**IV पर दी गई है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

11वीं और 12वीं योजना के दौरान सीईए द्वारा सहमति दी गई जल विद्युत परियोजनाओं की सूची (31.10.2016 के अनुसार)

क्रम सं.	योजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
11वीं योजना के दौरान				
1	लोअर जुराला	तेलंगाना	एपजेनको	240
2	रंगित-IV	सिक्किम	जेपीसीएल	120
3	पारे	अरूणाचल प्रदेश	नीपको	110
4	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	3000
5	गुण्डिया	कर्नाटक	केपीसीएल	200
6	सिंगोली भटवारी	उत्तराखंड	एल एवं टी	99
7	अलकनंदा	उत्तराखंड	जीएमआर	300
8	रूपसियाबगर खसियाबारा	उत्तराखंड	एनटीपीसी	261
9	देम्बे लोअर	अरूणाचल प्रदेश	एडीपीएल	1750
10	डिब्बिन	अरूणाचल प्रदेश	केएसकेडीएचएल	120
11	लोअर सिआंग	अरूणाचल प्रदेश	जेएपीएल	2700
12	तीस्ता - IV	सिक्किम	एनएचपीसी	520
13	कुटेहर	हिमाचल प्रदेश	एसडब्ल्यूईपीएल	240
14	बग्लीहार- II	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेएसपीडीसी	450
15	सैंज	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	100
16	पनान	सिक्किम	एचएचपीएल	300
17	नफ्रा	अरूणाचल प्रदेश	एसएनईएल	120
18	न्यामजांग छू	अरूणाचल प्रदेश	बीईएल	780
19	कोलोडीन चरण-II	मिजोरम	एनटीपीसी	460
20	तवांग चरण-I	अरूणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	600
21	तवांग चरण -II	अरूणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	800
22	व्यासी	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	120
23	इंदिरासागर (पोलावरम)	आंध्र प्रदेश	एपजेनको	960
24	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	जीएमआर	180
12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान				
25	टाटो-II	अरूणाचल प्रदेश	टीएचपीपीएल	700
26	देवसारी /एसजेवीएनएल	उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	252
27	शाँग्टोंग कर्चम /एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	450
28	रत्ले/जीवीकेआरएचईपीपीएल	जम्मू एवं कश्मीर	जीवीकेआर एचईपीपीएल	850
29	गोंग्री	अरूणाचल प्रदेश	डीईपीएल	144
30	मियार	हिमाचल प्रदेश	एमएचपीसीएल	120
31	हिरोंग	अरूणाचल प्रदेश	जेएपीएल	500
32	इटेलिन	अरूणाचल प्रदेश	ईएचईपीसीएल	3097
33	तलोंग लोंडा	अरूणाचल प्रदेश	जीएमआर	225
34	नेयिंग	अरूणाचल प्रदेश	एनडीएससीपीएल	1000
35	सियोम	अरूणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	1000
36	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	एमपीसीएल	180

क्रम सं.	योजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
37	दिखु	नागालैण्ड	एनएमपीपीएल	186
38	न्यू गंदरवाल	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेएसपीडीसी	93
39	छत्रू	हिमाचल प्रदेश	डीएससी	126
40	कलाई-II	अरूणाचल प्रदेश	कलाई पीपीएल	1200
41	किन्शी- I	मेघालय	एकेपीपीएल	270
42	हियो	अरूणाचल प्रदेश	एचएचपीपीएल	240
43	टाटो-I	अरूणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	186
44	लोअर कोपिली	असम	एजीपीसीएल	120
45	किरू	जम्मू एवं कश्मीर	सीवीपीपीएल	624
46	तुर्गा पीएसएस	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1000
47	सेली	हिमाचल प्रदेश	एसएचपीसीएल	400
48	सच खास	हिमाचल प्रदेश	एलएंडटी एचएचपीएल	267
49	तुगुर्शिट	अरूणाचल प्रदेश	एलएंडटी	74

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केंद्रीय एवं राज्य क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में स्थापित की जा रही ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र				
1	*असम*	बोंगईगांव टीपीपी	यू-2	250
			यू-3	250
2	*बिहार*	बाढ़ एसटीपीपी -I	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
3	*बिहार*	मुज्ज्फरपुर टीपीपी (कान्ती) एक्सपें	यू-4	195
4	*बिहार*	नबीनगर टीपीपी	यू-2	250
			यू-3	250
			यू-4	250
5	*बिहार*	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
6	*छत्तीसगढ़*	लारा टीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
7	*झारखण्ड*	नार्थ करनपुरा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
8	*कर्नाटक*	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
9	*महाराष्ट्र*	मौदा एसटीपीपी फेज-II	यू-4	660
10	*महाराष्ट्र*	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
11	*मध्य प्रदेश*	गदरवाड़ा टीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
12	*मध्य प्रदेश*	खारगोन टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
13	*ओडिशा*	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
14	तेलंगाना	तेलंगाना फेज- I	यू-1	800
			यू-2	800
15	*तमिलनाडु*	नेवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500
			यू-2	500
16	*उत्तर प्रदेश*	ऊंचाहार - IV	यू-6	500
17	*उत्तर प्रदेश*	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
18	*उत्तर प्रदेश*	घटमपुर टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
19	*उत्तर प्रदेश*	टाण्डा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660

राज्य क्षेत्र				
1	*आंध्र प्रदेश*	डॉ. नार्ला टाटा राव टीपीएस चरण-वी	यू-1	800
2	*आंध्र प्रदेश*	श्री दामोदरन संजीव्याह टीपीपी चरण-II	यू-1	800
3	*आंध्र प्रदेश*	रायलसीमा टीपीपी चरण-IV	यू-6	600
4	*असम*	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	62.25
			एसटी	36.15
5	*बिहार*	बरौनी टीपीएस एक्सटें	यू-8	250
			यू-9	250
6	*गुजरात*	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-2	250
7	*गुजरात*	वानाकबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800
8	*कर्नाटक*	येरमारूस टीपीपी	यू-2	800
9	*कर्नाटक*	येलाहांका सीसीपीपी	यू-1	370
10	*महाराष्ट्र*	कोराडी टीपीएस एक्सपैं.	यू-10	660
11	*मध्य प्रदेश*	श्री सिंघाजी टीपीपी चरण-II	यू-3	660
			यू-4	660
12	*ओडिशा*	आईबी वैली टीपीपी	यू-3	660
			यू-4	660
13	*राजस्थान*	छब्रा टीपीपी एक्सटें.	यू-5	660
			यू-6	660
14	*राजस्थान*	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	660
			यू-8	660
15	*तेलंगाना*	कोथागुडम टीपीएस चरण-वीII	यू-1	800
16	*तेलंगाना*	भद्राद्री टीपीपी	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
17	*तेलंगाना*	सिंगरेनी टीपीपी	यू-2	600
18	*तमिलनाडु*	एन्नोर एक्सपैं एससीटीपीपी (लेंको)	यू-1	660
19	*तमिलनाडु*	एन्नोर एसटीटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
20	*तमिलनाडु*	नार्थ चेन्नई टीपीपी चरण-III	यू-1	800
21	*तमिलनाडु*	उप्पुर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
22	*उत्तर प्रदेश*	हर्दुआगंज टीपीएस एक्सपैं -II	यू-1	660
23	*पश्चिम बंगाल*	सागरडीघी टीपीपी चरण-II	यू-4	500
यूएमपीपी				
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
			यू-5	660
			यू-6	660
2	झारखण्ड	तिलैया यूएमपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
			यू-5	660
			यू-6	660

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयनधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची
(25 मेगावाट के अधिक)
(31.10.2016 के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)	क्षेत्र	ईकाई	क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश		_		
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	12x80	960.00
2	नागार्जुनसागर टीआर (एपजेनको)	राज्य	2x25	50.00
अरूणाचल प्रदेश				
3	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00
4	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00
5	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00
6	गोंग्री (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00
हिमाचल प्रदेश				
7	पारबती चरण II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00
9	साव्रा कुड्डु (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00
10	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00
11	शोंग्टोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00
12	कशांग -II & III (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x65	65.00
13	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00
14	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00
15	तंगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00
16	टिडोंग -I (एनएसएल टीांडीओएनजी)	निजी	100.00	100.00
17	चंजू -I (Iए एनर्जी)	निजी	3x12	36.00
जम्मू एवं कश्मीर				
18	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00
19	रतले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00
केरल				
20	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00
21	थोट्टियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00
मध्य प्रदेश		_		
22	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00
महाराष्ट्र				
23	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी,एमएएच)	राज्य	2x40	80.00
मेघालय				
24	न्यू उमत्रू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00
मिजोरम				
25	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00
पंजाब				
26	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00

सिक्किम				
27	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00
28	डिक्चू (स्नेहा नेटिक)	निजी	2x48	96.00
29	रंगित -IV (जल विद्युत)	निजी	3x40	120.00
30	रंगित -II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00
31	रोंग्नीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00
32	ताशीडिंग (शिगा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00
33	तीस्ता चरण. III (तीस्ता ऊर्जा लि.)	राज्य	6x200	1200.00
34	तीस्ता चरण. वी। (लेंको)	निजी	4x125	500.00
35	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00
तेलंगाना				
36	पुलीचिंताला (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	4x30	90.00
उत्तराखंड				
37	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00
38	तपोवन विष्णुगढ़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00
39	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00
40	विष्णुगढ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00
41	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00
42	फाटा ब्युंग (लेंको)	निजी	2x38	76.00
43	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00
पश्चिम बंगाल				
44	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सहमति/मूल्यांकन के लिए सीईए के पास जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा
(31.10.2016 के अनुसार)

क्रम सं	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	जेलम तमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	108
2	बोवला नंद परयाग	उत्तराखंड	राज्य	300
3	डगमारा	बिहार	राज्य	130
4	उम्नगोट	मेघालय	राज्य	210
5	सुबानसिरी मिडल (कमला)	अरूणाचल प्रदेश	निजी	1800
6	अट्टुनली	अरूणाचल प्रदेश	निजी	680
7	लोकटक डी/एस	मणिपुर	केंद्रीय	66
8	मागोचू	अरूणाचल प्रदेश	निजी	96
9	किरथाई -II	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	930
10	डुगर	हिमाचल प्रदेश	निजी	449
11	क्वार	जम्मू एवं कश्मीर	संयुक्त उद्यम (केंद्रीय एंड राज्य)	540
12	स्वालकोट	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	1856

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2575

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

प्रदूषण नियंत्रित करने वाले उपकरण

2575. श्री बी. श्रीरामुलुः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में कर्नाटक में प्रचालनशील विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संयंत्रों में जल और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने वाले उपकरणों को स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों में इन उपकरणों को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा, जो कर्नाटक में प्रचालनशील हैं, **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : मौजूदा मानकों के अनुसार, कर्नाटक में सभी प्रचालनशील ताप विद्युत संयंत्रों ने, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) तथा बहिस्राव निस्सरण से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बहिस्राव, शोधन संयंत्र (ईटीपी) संस्थापित की है।

(ग) और (घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.12.2015 को ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के नए प्रदूषण मानकों को अधिसूचित किया गया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) पणधारकों अर्थात् केंद्र/राज्य/निजी विद्युत यूटिलिटियों के साथ उनके मौजूदा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में नए उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए अपेक्षित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की संस्थापना की कार्यान्वयन योजना तैयार करने में उन्हें सुग्राही बनाने के लिए फरवरी/मार्च, 2016 में तीन बैठकें आयोजित कीं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2575 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में प्रचालनाधीन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

श्रेणी	क्षेत्र	ईंधन	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	31.10.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता
थर्मल	राज्य	कोयला	केपीसीएल	बेल्लारी टीपीएस	1700
थर्मल	राज्य	कोयला	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	1720
थर्मल	राज्य	कोयला	केपीसीएल	येरमारस टीपीपी	800
थर्मल	राज्य	डीजल	केपीसीएल	येलहांका (डीजी)	127.92
थर्मल	निजी	डीजल	बेल्लारी	बेल्लारी डीजी	25.2
थर्मल	निजी	कोयला	जेएसडब्ल्यूईएल	टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260
थर्मल	निजी	कोयला	जेएसडब्ल्यूईएल	टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600
थर्मल	निजी	डीजल	टाटा पीसीएल	बेल्गॉम डीजी	81.3
थर्मल	निजी	कोयला	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	1200
न्यूक्लियर	केंद्रीय	न्यूक्लियर	एनपीसीआईएल	कैगा	880
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	एलमत्ती डीपीएच एचपीएस	290
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	भद्रा एचपीएस	39.2
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	गेरूसुप्पा एचपीएस	240
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	घाटप्रभा एचपीएस	32
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	हंपी एचपीएस	36
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	जोग एचपीएस	139.2
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	कद्रा एचपीएस	150
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	कालीनदी एचपीएस	855
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	कालीनदी सुपा एचपीएस	100
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	कोडासली एचपीएस	120
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	लिग्नामक्की एचपीएस	55
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	मुनीराबाद एचपीएस	28
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	शारावथी एचपीएस	1035
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	शिवासमुद्रम एचपीएस	42
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	टी.बी. डैम एचपीएस	36
हाइड्रो	राज्य	हाइड्रो	केपीसीएल	वराही एचपीएस	460
				कुल	**11051.82**

टिप्पणी: पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो से न्यूक्लियर) के 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से उत्पादन।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2594

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बी.बी.एम.बी. में जीरो बेस बजट

2594. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार का बी.बी.एम.बी. की हमेशा बढ़ने वाली बजट मांग को कम करने के लिए बी.बी.एम.बी. की 205वीं बैठक में चर्चा के अनुसार जीरो बेस्ड बजट को लागू करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) को अति शीघ्र निदेश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, नहीं। भारत सरकार बीबीएमबी को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं करता है। बीबीएमबी का बजट हेतु बीबीएमबी के बोर्ड की बजट उप-समिति के विचारार्थ रखा जाता है। बजट उप-समिति द्वारा संस्तुति किया गया बजट, के अनुमोदन के लिए बीबीएमबी के सम्पूर्ण बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2605

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ईईएसएल द्वारा जारी बॉण्ड

2605. श्री रवीन्द्र कुमार रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने देश में ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के लिए घरेलू बाजार में कोई बॉण्ड जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तहत अब तक कितना निवेश प्राप्त हुआ है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड ने विभिन्न ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से सितंबर, 2016 में 500 करोड़ रुपए के अमूर्त रूप में ऋणपत्र स्वरूप के प्रतिभूति किए गए, विमोचन योग्य, कर योग्य, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं।

500 करोड़ रुपए का बॉण्ड निर्गम पूरी तरह से क्रय किया गया था और इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

बॉण्ड का अंकित मूल्य	रुपए 40,00,000/- प्रति बॉण्ड [इसमें 3 पृथक अंतरणीय विमोच्य मूल भाग (एसटीआरपीपी) शामिल हैं, 10,00,000/- रुपए (प्रत्येक) के 2 एसटीआरपीपी तथा 20,00,000/- रुपए मूल्य का 1 एसटीआरपीपी]
मात्रा	1250
ब्याज की दर	8.07% प्रति वर्ष
आबंटन की वास्तविक तिथि	20/9/2016
विमोचन की तिथि	क) रुपए 125 करोड़ का एसटीआरपीपी ए : 20/3/2020 ख) रुपए 125 करोड़ का एसटीआरपीपी बी : 20/09/2021 ग) रुपए 250 करोड़ का एसटीआरपीपी सी : 20/09/2023
पुट/काल विकल्प	लागू नहीं।
सूचीकरण	बॉण्ड बांबे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2607

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

नियामकों की निगरानी हेतु समितियां

2607. श्री हरिनरायन राजभरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में विशेषकर उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के नियामकों के कार्यकरण की समय-समय पर निगरानी हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगरानी से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकरण की निगरानी हेतु केन्द्रीय और राज्य स्तर पर समिति स्थापना करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत विनियामक आयोगों की जबावदेही, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के संबंध में संसद के प्रति और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के संबंध में राज्य विधानमण्डलों के प्रति है। विद्युत विनियामक आयोगों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी द्वारा यथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों इत्यादि को संसद/राज्य विधानमण्डलों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। संसदीय समितियाँ, विशिष्ट के साथ-साथ सामान्य मामलों की नियमित अंतरालों पर सीईआरसी/राज्य विनियामकों के निष्पादन की निगरानी करती हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 121 में यह व्यवस्था है कि विद्युत अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी उपयुक्त आयोग अपने सांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए उपयुक्त आयोग अथवा अन्य हितबद्ध पक्ष, यदि कोई हो, की सुनवाई के पश्चात यदि यह उपयुक्त समझता है तो समय-समय पर ऐसे आदेश, निर्देश अथवा दिशा-निर्देश जारी कर सकता हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2612

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

गंगा पर जल विद्युत परियोजनाएं

2612. श्री राजू शेट्टीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गंगा और इसकी सहायक नदियों पर वर्तमान में कितनी जल-विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कारण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के प्रवाह पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जल विद्युत परियोजनाओं से गंगा के जल का अविरल प्रवाह तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके लिए तरीके तथा राजस्व सुझाने हेतु कोई अंतर मंत्रालयी समिति गठित की है; और

(घ) उक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में 2585 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की नौ (9) जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक) गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर निर्माणाधीन हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 03.06.2015 को 12 सदस्यों का विशेषज्ञ निकाय (ईबी) गठित किया था, जिसमें 6 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए देशांतर कनेक्टिविटी तथा माह-वार ई-फ्लो जिसमें सुरंग खोदने, कीचड़ का निपटान, परिवहन, आपदा नियंत्रण इत्यादि के दौरान अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हैं, से संबंधित सिफारिशें करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की सह-संयोजकता में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स,

भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रतिनिधि शामिल थे। 6 जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट को ईबी द्वारा अक्तूबर, 2015 में अंतिम रूप दे दिया गया है जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.11.2015 को माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 06.01.2016 को शपथ-पत्र भी दिया जिसमें कहा गया कि दो परियोजनाओं अर्थात कोटलाभेल-Iक एवं अलकनंदा एचईपी के लिए डिजाइन में सुधार की आवश्यकता होगी जबकि 3 अन्य परियोजनाएं अर्थात लता तपोवन, भ्युंदर गंगा तथा खैरो गंगा को विशेषज्ञ निकाय की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार एवं रिपोर्ट में इंगित मानदंडों को पूरा करने पर कार्यान्वित किया जा सकेगा। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सरकार अर्थात जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), विद्युत मंत्रालय एवं एमओईएफएंडसीसी के अंतिम पक्ष को अंतिम रूप दिया जाना है। एक परियोजना अर्थात झेलम तमक एचईपी (108 मेगावाट) को सीईए द्वारा अभी सहमति दी जानी है।

(ग) और (घ) : विभिन्न उद्देश्यों, जिनमें भागीरथी, अलकनंदा तथा गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों के विभिन्न फैलाव के लिए पर्यावरणीय प्रवाह आवश्यकता का सुझाव देना तथा गंगा नदी की इन सहायक नदियों पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा करना तथा उपचारात्मक कार्रवाई करना शामिल है, के लिए जून, 2012 में श्री बी.के. चतुर्वेदी (सदस्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया था। गंगा नदी से संबंधित मामलों पर आईएमजी की रिपोर्ट अप्रैल, 2013 में प्रस्तुत की गई थी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2630

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत योजना

2630. श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देश में अगले पांच सालों में विद्युत की मांग का आकलन करने हेतु एक विद्युत योजना पर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 12वीं योजना अवधि के दौरान अनुमानित कितनी विद्युत क्षमता में वृद्धि का अनुमान है और इसमें कोयला आधारित ताप विद्युत का योगदान कितना है;

(ग) नवीकरणीय विद्युत प्रणाली के लिए ग्रिड स्थिरता हेतु सरकार द्वारा निर्माण के मानकों, प्रचालन और विद्युत उपस्करों के रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या चालू योजना अवधि के दौरान 40 प्रतिशत विद्युत परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) में अनुबंधित है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और इस योजना को अधिसूचित करेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा, 12वीं योजना के लिए विस्तृत योजना और 13वीं योजना के लिए परिदृश्य योजना को शामिल करते हुए अंतिम राष्ट्रीय विद्युत योजना दिसंबर, 2013 में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई थी।

12वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा, वर्ष 2017-22 के लिए विस्तृत योजना और 2022-27 के लिए परिदृश्य योजना को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विद्युत योजना सीईए द्वारा तैयार की जा रही है।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, क्षेत्रों और देश के लिए विद्युत की मांग का अनुमान लगाने के लिए, सीईए आवधिक रूप से इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण करता है। 18वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट, जोकि ईपीएस की श्रृंखला क्रम में सबसे नवीनतम है, दिसंबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी।

अगले 5 वर्षों और उसके बाद के लिए देश में विद्युत की मांग के पुनः अनुमान हेतु, सीईए द्वारा 19वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण समिति (ईपीएससी) का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) : सीईए द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान परम्परागत स्रोतों से अनुमानित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि 1,02,811 मेगावाट है जिसमें 86,750 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता शामिल है।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक के कनेक्शन के बाद ग्रिड स्थायित्व के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सीईए (ग्रिड के साथ सम्बद्धता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 (2013 में यथासंशोधित) को संशोधित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये विनियम ग्रिड के साथ संबद्धता की अपेक्षा रखने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादकों द्वारा पूरी की जाने वाली कतिपय तकनीकी/प्रचालनात्मक अपेक्षाएं करते हैं। उपरोक्त विनियमों का प्रारूप संशोधन दिनांक 8.11.2016 को सीईए की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2016 तक इस पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

(घ) : सीईए द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, चालू योजना अवधि (2012-17) के दौरान, कुल कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल विद्युत उत्पादन क्षमता 35,890 मेगावाट होने की संभावना है जो कि 86750 मेगावाट की कोयला आधारित कुल संभाव्य क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 41.0% है। 12वीं योजना के दौरान शुरू की गई/शुरू की जाने वाली सुपर क्रिटिकल यूनिटों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2630 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

12वीं योजना के दौरान चालू की गई सुपर क्रिटिकल यूनिटें (15.11.2016 की स्थिति के अनुसार)					
राज्य	**परियोजना का नाम**	**कार्यान्वयन एजेंसी/निर्माता**	**यूनिट सं.**	**क्षमता मेगावाट**	**चालू होने की वास्तविक तिथि**
(क) 12वीं योजना में लक्षित चालू की गई					
	केंद्रीय क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	सीपत-I	एनटीपीसी	यू-3	660	02.06.12
बिहार	बाढ़-II	एनटीपीसी	यू-4	660	30.11.13
बिहार	बाढ़-II	एनटीपीसी	यू-5	660	04.03.15
		कुल केंद्रीय क्षेत्र		**1980**	
	राज्य क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	एपीपीडीएल	**यू-1**	**800**	**28.08.14**
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	एपीपीडीएल	**यू-2**	**800**	**17.03.15**
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपें.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	660	30.03.15
		कुल राज्य क्षेत्र		**2260**	
	निजी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक. कारपो. लि.	**यू-1**	**660**	**07.02.15**
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक. कारपो. लि.	**यू-2**	**660**	**05.09.15**
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लि.	यू-1	660	12.11.16
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	यू-2	800	25.07.12
हरियाणा	झज्जर टीपीपी (महात्मा गांधी टीपीपी)	सीएलपी पावर इंडिया प्रा. लि.	यू-2	660	11.04.12
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	यू-1	660	11.09.12
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	यू-2	660	25.03.13
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	यू-1	660	10.06.13
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-3	660	30.05.13
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-2	660	18.12.13
पंजाब	राजपुर टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	यू-1	700	24.01.14
पंजाब	राजपुर टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	यू-2	700	06.07.14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टरलाइट	यू-1	660	17.06.14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टरलाइट	यू-2	660	30.10.15
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टरलाइट	यू-3	660	29.03.16
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	प्रयागराज पावर जेन. कं. लि. (जे.पी. पावर वेंचर्स)	यू-1	660	25.12.15
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	प्रयागराज पावर जेन. कं. लि. (जे.पी. पावर वेंचर्स)	यू-2	660	06.09.16
		कुल निजी क्षेत्र		**11440**	
	12वीं योजना के दौरान कुल लक्षित चालू की गई			**15680**	

(ख) चालू की गई अतिरिक्त यूनिटें, जिनका 12वीं योजना में लक्ष्य नहीं हैं					
	केंद्रीय क्षेत्र				
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-3	660	28.03.16
		उप-जोड़		**660**	
	राज्य क्षेत्र				
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस स्टे.-III	केपीसीएल	यू-3	700	01.03.16
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	800	29.03.16
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपें.	एमएसपीजीसीएल	यू-9	660	28.03.16
		उप-जोड़		**2160**	
	निजी क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	राइखेड़ा टीपीपी	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि.	**यू-1**	685	27.02.15
छत्तीसगढ़	राइखेड़ा टीपीपी	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि.	**यू-2**	685	28.03.16
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	यू-3	800	16.10.12
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	यू-4	800	16.01.13
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	यू-5	800	18.03.13
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-2	660	23.03.14
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-3	660	25.09.14
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.	यू-1	660	28.05.13
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.	यू-2	660	24.12.13
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-4	660	25.03.14
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-1	660	21.05.14
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-5	660	24.08.14
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-6	660	19.03.15
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि.	यू-1	660	29.08.14
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि.	यू-2	660	17.02.15
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	ललितपुर पावर जेनरेशन कं. लि.	यू-2	660	08.01.16
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	ललितपुर पावर जेनरेशन कं. लि.	यू-1	660	26.03.16
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	ललितपुर पावर जेनरेशन कं. लि.	यू-3	660	01.04.16
		कुल निजी क्षेत्र		**12350**	
		कुल अतिरिक्त		**15170**	
	चालू की गई सकल योग			**30850**	

(ग) 2016-17 (12वीं योजना) की शेष अवधि के दौरान चालू होने वाली

केंद्रीय क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800
कर्नाटक	कुडगी टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-4	660
		कुल केंद्रीय क्षेत्र		**2260**
राज्य क्षेत्र				
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	केपीसीएल	यू-2	800
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	यू-10	660
		कुल राज्य क्षेत्र		**1460**
निजी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी	यू-2	660
ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध	यू-1	660
		कुल निजी क्षेत्र		**1320**
	2016-17 की शेष अवधि में चालू की जाने वाली थर्मल क्षमता			**5040**
12वीं योजना के दौरान कुल सुपर क्रिटिकल				**35890**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2632

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

टी एण्ड डी हानियां

2632. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत वितरण कंपनियां विभिन्न राज्यों में वर्ष-दर-वर्ष लगातार घाटे में चल रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-से कारक जिम्मेदार हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो देश में विद्युत सुधारों को प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं;

(ग) उन राज्यों में पारेषण और वितरण में होने वाली हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सुधारों के बावजूद भी पारेषण और वितरण के दौरान हुई हानि में कोई कमी नहीं आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पारेषण और वितरण के कारण होने वाली हानि को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा तैयार की गई राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों की सकल हानियां नीचे दी गई हैः

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर (लाभ/हानि) (करोड़ रुपए में)	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
	(71,621)	(67,336)	(58,275)

राज्यवार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

हानियां मुख्य रूप से तकनीकी और वाणिज्यिक कारणों से होती हैं। विद्युत के पारेषण, अन्तरण और वितरण के लिए प्रयुक्त कंडक्टरों और उपकरणों में ऊर्जा अपव्यय के कारण तकनीकी हानियां होती है। वाणिज्यिक हानियां खपत की गई लेकिन राजस्व की वसूली नहीं होने के कारण होती हैं जो कि लाइनों में कांटे डालकर चोरी, मीटरों की बायपासिंग, खराब मीटर, मीटर रिडिंग और बिलिंग में गलती, विद्युत की अनुमानित अनमिटरड आपूर्ति और बिल की गई राशि की वसूली नहीं होना इत्यादि मुख्य कारण है।

(ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के पश्चात देश में विद्युत सुधार कार्यान्वित करने वाले राज्यों के नाम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 22.11.2016 की स्थिति के अनुसार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखण्ड, गोवा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पुडुचेरी राज्यों ने उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (डिस्कामों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअरांउड के उद्देश्य से उदय) के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन हस्क्षारित किए हैं।

(ग) से (ङ) : सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों की वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 के लिए पारेषण और वितरण हानियों सहित समग्र सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां निम्नानुसार हैः

	2012-13	**2013-14**	**2014-15**
ए टी एण्ड सी हानि (%)	25.48	22.58	24.62

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

वितरण नेटवर्कों में एटीएण्डसी हानियों में कमी लाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डिस्कामों और विद्युत विभागों/यूटिलिटियों की है। तथापि, सरकार ने एटीएण्डसी हानियों में कमी करने को सुकर बनाने तथा विद्युत वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) और उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे विभिन्न कार्यक्रम/स्कीम आरम्भ किए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2632 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार हुई हानि का ब्यौरा करोड़ में								
			2012-13		2013-14		2014-15	
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1,088	-1,088		0		0
		एनबीपीडीसीएल	-56	-56	-74	-74	-297	-491
		एसबीपीडीसीएल	-84	-84	-269	-269	-748	-748
	बिहार कुल		-1,227	-1,227	-343	-343	-1,044	-1,239
	झारखण्ड	जेएसईबी	-2,668	-2,668	-3,950	-3,950		0
		जेबीवीएनएल		0	-71	-71	-37	-37
	झारखण्ड कुल		-2,668	-2,668	-4,021	-4,021	-37	-37
	ओडिशा	सीईएसयू	-316	-316	-199	-199	-202	-202
		एनईएससीओ	-77	-77	-45	-45	-123	-123
		एसईएससीओ	-34	-34	-11	-11	-379	-379
		डब्ल्यूईएससीओ	-132	-132	-87	-87	-224	-224
	ओडिशा कुल		-559	-559	-342	-342	-929	-929
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	39	39	33	33	-126	-126
	सिक्किम कुल		39	39	33	33	-126	-126
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	82	82	19	19	20	20
	पश्चिम बंगाल कुल		82	82	19	19	20	20
पूर्वी कुल			-4,332	-4,332	-4,654	-4,654	-2,116	-2,310
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	-255	-255	-428	-428	-257	-257
	अरुणाचल प्रदेश कुल		-255	-255	-428	-428	-257	-257
	असम	एपीडीसएल	-418	-568	-528	-693	-578	-578
	असम कुल		-418	-568	-528	-693	-578	-578
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-315	-315	-194	-194		0
		एमएसपीडीसीएल		0		0	0	0
	मणिपुर कुल		-315	-315	-194	-194	0	0
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	-221	-221	-295	-295	-202	-202
	मेघालय कुल		-221	-221	-295	-295	-202	-202
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-200	-200	-192	-192	-192	-192
	मिजोरम कुल		-200	-200	-192	-192	-192	-192
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-212	-212	-191	-191	-315	-315
	नागालैंड कुल		-212	-212	-191	-191	-315	-315
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-107	-107	-62	-62	-60	-82
	त्रिपुरा कुल		-107	-107	-62	-62	-60	-82
पूर्वोत्तर कुल			-1,730	-1,880	-1,891	-2,056	-1,603	-1,625
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	21	21	8	8	63	63
		बीएसईएस यमुना	25	25	11	11	19	19
		टीपीडीडीएल	310	310	334	334	336	336
	दिल्ली कुल		356	356	353	353	418	418
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-1,352	-1,352	-2,089	-2,089	-636	-636
		यूएचबीवीएनएल	-2,297	-2,297	-1,465	-1,465	-1,481	-1,481
	हरियाणा कुल		-3,649	-3,649	-3,554	-3,554	-2,117	-2,117
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	-340	-340	-137	-137	-125	-125
	हिमाचल प्रदेश कुल		-340	-340	-137	-137	-125	-125
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	-3,129	-3,129	-2,387	-2,387	-3,913	-3,913
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		-3,129	-3,129	-2,387	-2,387	-3,913	-3,913

	पंजाब	पीएसपीसीएल	261	94	249	249	133	-1,100
	पंजाब कुल		261	94	249	249	133	-1,100
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-3,905	-3,905	-4,843	-4,843	-3,593	-3,593
		जेडीवीवीएनएल	-4,285	-4,285	-5,299	-5,299	-4,146	-4,146
		जेवीवीएनएल	-4,161	-4,161	-5,503	-5,503	-4,735	-4,735
	राजस्थान कुल		-12,351	-12,351	-15,645	-15,645	-12,474	-12,474
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-3,364	-3,364	-5,521	-5,521	-2,936	-2,936
		केईएससीओ	-545	-545	-674	-674	-168	-168
		एमवीवीएन	-2,033	-2,033	-3,263	-3,263	-1,994	-1,994
		पश्च वीवीएन	-1,303	-1,303	-3,172	-3,172	-1,577	-1,577
		पूर्व वीवीएन	-2,533	-2,533	-4,095	-4,095	-2,000	-2,000
	उत्तर प्रदेश कुल		-9,778	-9,778	-16,724	-16,724	-8,675	-8,675
	उत्तराखण्ड	यूटी पीसीएल	-16	-16	323	323	-260	-260
	उत्तराखण्ड कुल		-16	-16	323	323	-260	-260
उत्तरी कुल			-28,647	-28,814	-37,521	-37,521	-27,012	-28,245
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	-7,718	-7,718	-811	-811		0
		एपीईपीडीसीएल	-1,681	-1,681	-136	-136	-722	-722
		एपीएनपीडीसीएल	-3,436	-3,445	-31	-31		0
		एपीएसपीडीसीएल	-4,673	-4,678	-401	-401	-1,675	-1,827
	आंध्र प्रदेश कुल		-17,508	-17,522	-1,379	-1,379	-2,397	-2,549
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	-433	-433	76	76	113	113
		सीएचईएससीओएम	-270	-337	-16	-72	40	37
		जीईएससीओएम	-189	-189	38	38	-110	-110
		एचईएससीओएम	41	41	-576	-576	30	30
		एमईएससीओएम	13	13	0	0	14	14
	कर्नाटक कुल		-838	-905	-478	-534	88	85
	केरल	केएसईबी	241	241	140	140		0
		केएसईबीएल		0	-24	-24	-1,273	-1,273
	केरल कुल		241	241	116	116	-1,273	-1,273
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	-308	-308	-60	-60	157	157
	पुडुचेरी कुल		-308	-308	-60	-60	157	157
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	-11,679	-12,064	-13,985	-14,052	-12,757	-12,757
	तमिलनाडु कुल		-11,679	-12,064	-13,985	-14,052	-12,757	-12,757
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल		0		0	-1,343	-1,741
		टीएसएसपीडीसीएल		0		0	-1,171	-1,171
	तेलंगाना कुल			0		0	-2,513	-2,912
दक्षिणी कुल			-30,092	-30,559	-15,786	-15,909	-18,695	-19,249
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	-498	-498	-630	-630	-1,554	-1,569
	छत्तीसगढ़ कुल		-498	-498	-630	-630	-1,554	-1,569
	गोवा	गोवा पीडी	-285	-285	-4	-4	-17	-17
	गोवा कुल		-285	-285	-4	-4	-17	-17
	गुजरात	डीजीवीसीएल	25	25	52	52	51	51
		एमजीवीसीएल	21	21	19	19	29	29
		पीजीवीसीएल	11	11	10	10	11	11
		यूजीवीसीएल	14	14	14	14	17	17
	गुजरात कुल		71	71	95	95	108	108
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-1,593	-1,595	-2,672	-2,672	-2,728	-2,765
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1,425	-1,425	-1,811	-1,811	-1,061	-1,061
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,432	-1,432	-1,887	-1,893	-1,162	-1,175
	मध्य प्रदेश कुल		-4,450	-4,452	-6,370	-6,376	-4,950	-5,001
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-871	-871	-280	-280	-366	-366
	महाराष्ट्र कुल		-871	-871	-280	-280	-366	-366
पश्चिमी कुल			-6,034	-6,036	-7,190	-7,196	-6,780	-6,845
सकल योग			**-70,835**	**-71,621**	**-67,041**	**-67,336**	**-56,206**	**-58,275**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2632 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में वे राज्य जिन्होंने विद्युत सुधार कार्यान्वित किए हैं

क्र.सं.	**पुनर्संगठित एसईबी**	**अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विद्युत विभाग है और एसईबी नहीं है**
1	दिल्ली	नागालैंड
2	हरियाणा	मिजोरम
3	राजस्थान	मणिपुर
4	उत्तर प्रदेश	गोवा
5	उत्तराखण्ड	जम्मू एवं कश्मीर**
6	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
7	कर्नाटक	त्रिपुरा*
8	असम	पुडुच्चेरी
9	ओडिशा	चंडीगढ़
10	पश्चिम बंगाल	दमन व दीव
11	गुजरात	दादर व नगर हवेली
12	महाराष्ट्र	अंडमान व निकोबार
13	मध्य प्रदेश	लक्षद्वीप
14	छत्तीसगढ़	सिक्किम
15	तमिलनाडु	
16	पंजाब	
17	मेघालय	
18	हिमाचल प्रदेश	
19	बिहार	
20	झारखण्ड	
21	केरल	
कुल	21	14

* त्रिपुरा ने अपने विद्युत विभाग का निगमितीकरण कर दिया है।

** जम्मू एवं कश्मीर के लिए: विद्युत अधिनियम, 2003 लागू नहीं है।

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2632 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2012-13 से 2014-15 के लिए राज्य-वार और यूटिलिटी-वार एटीएण्डसी हानियों का ब्यौरा					
क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	2012-13	2013-14	2014-15
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी	59.40		
		एनबीपीडीसीएल	50.85	41.93	41.76
		एसबीपीडीसीएल	45.77	48.70	45.28
	बिहार कुल		54.64	46.33	43.99
	झारखण्ड	जेएसईबी	47.49	26.30	
		जेबीवीएनएल			47.01
	झारखण्ड कुल		47.49	26.30	47.01
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	53.51	71.23	42.37
	सिक्किम कुल		53.51	71.23	42.37
	पश्चिम बंगाल	डबल्यूबीएसईडीसीएल	34.43	32.05	35.35
	पश्चिम बंगाल कुल		34.43	32.05	35.35
	ओडिशा	एनईएससीओ	39.61	36.47	38.36
		एसईएससीओ	49.36	41.18	42.57
		डब्ल्यूईएससीओ	41.87	41.24	41.03
		सीईएसयू	43.43	38.48	37.08
	ओडिशा कुल		42.88	39.19	39.28
पूर्वी कुल			42.04	36.24	39.64
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	60.26	68.20	67.83
	अरुणाचल प्रदेश कुल		60.26	68.20	67.83
	असम	एपीडीसीएल	31.85	30.25	26.00
	असम कुल		31.85	30.25	26.00
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	85.49	43.55	
		एमएसपीडीसीएल			49.62
	मणिपुर कुल		85.49	43.55	49.62
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	41.71	39.77	34.69
	मेघालय कुल		41.71	39.77	34.69
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	27.55	32.53	33.51
	मिजोरम कुल		27.55	32.53	33.51
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	75.30	38.37	78.48
	नागालैंड कुल		75.30	38.37	78.48
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	34.45	41.81	38.02
	त्रिपुरा कुल		34.45	41.81	38.02
पूर्वोत्तर कुल			39.97	35.92	35.29
उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	15.16	16.19	10.76
		बीएसईएस यमुना	17.94	15.51	19.68
		टीपीडीडीएल	13.12	9.75	10.31
	दिल्ली कुल		15.22	14.09	12.90
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	28.31	30.89	30.71
		यूएचबीवीएनएल	36.97	38.61	34.83
	हरियाणा कुल		32.55	34.33	32.52
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	11.90	14.82	15.21
	हिमाचल प्रदेश कुल		11.90	14.82	15.21
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	60.87	49.14	59.04
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		60.87	49.14	59.04

	पंजाब	पीएसपीसीएल	17.52	17.87	17.56
	पंजाब कुल		17.52	17.87	17.56
	राजस्थान	एवीवीएनएल	19.90	22.06	28.13
		जेडीवीवीएनएल	18.97	25.71	26.99
		जेवीवीएनएल	20.91	31.08	32.00
	राजस्थान कुल		20.00	26.77	29.28
	उत्तर प्रदेश	डीवीवएन	45.69	36.47	40.18
		केईएससीओ	37.61	34.29	32.02
		एमवीवीएन	45.83	14.43	35.18
		पश्च वीवीएन	33.39	23.49	22.19
		पूर्व वीवीएन	52.37	20.09	42.91
	उत्तर प्रदेश कुल		42.85	24.67	33.82
	उत्तराखण्ड	यूटी पीसीएल	23.18	19.01	18.82
	उत्तराखण्ड कुल		23.18	19.01	18.82
उत्तरी कुल			28.89	24.86	28.06
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	15.64	17.54	
		एपीईपीडीसीएल	10.15	6.57	7.67
		एपीएनपीडीसीएल	13.09	20.80	
		एपीएसपीडीसीएल	12.74	11.77	12.01
	आंध्र प्रदेश कुल		13.70	14.77	10.55
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	20.45	18.93	17.59
		सीएचईएससीओएम	30.42	33.92	21.64
		जीईएससीओएम	18.28	30.45	21.25
		एचईएससीओएम	20.44	20.42	19.49
		एमईएससीओएम	14.57	14.83	15.72
	कर्नाटक कुल		20.78	22.02	18.71
	केरल	केएसईबी	12.32	11.45	
		केएसईबीएल		22.99	17.64
	केरल कुल		12.32	16.48	17.64
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	9.13	16.18	16.64
	पुडुचेरी कुल		9.13	16.18	16.64
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	20.71	22.35	24.74
	तमिलनाडु कुल		20.71	22.35	24.74
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल			16.49
		टीएसएसपीडीसीएल			11.91
	तेलंगाना कुल				13.23
दक्षिणी कुल			17.40	19.08	18.22
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	25.12	23.17	27.84
	छत्तीसगढ़ कुल		25.12	23.17	27.84
	गोवा	गोवा पीडी	14.14	10.72	13.31
	गोवा कुल		14.14	10.72	13.31
	गुजरात	डीजीवीसीएल	10.40	10.83	10.81
		एमजीवीसीएल	14.94	14.77	11.47
		पीजीवीसीएल	30.41	24.12	25.18
		यूजीवीसीएल	14.37	9.10	10.21
	गुजरात कुल		19.87	15.93	16.06
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	29.97	29.60	32.47
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	28.16	21.15	30.79
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	36.40	34.83	27.09
	मध्य प्रदेश कुल		31.15	28.03	30.26
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.95	14.39	19.75
	महाराष्ट्र कुल		21.95	14.39	19.75
पश्चिमी कुल			23.36	18.37	21.59
सकल योग			25.48	22.58	24.62

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2654

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड

2654. श्री मानशंकर निनामाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में सदस्य राज्यों को दी गई निश्चित अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बोर्ड में राजस्थान राज्य को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि तक बीबीएमबी की हुई बैठकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त बैठकों में लिये गये निर्णयों और उन निर्णयों पर की गई अनुवृत्ति कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : बीबीएमबी नियमावली 1974, पैरा 3(1) में व्यवस्था की गई है कि:-

(1) उनके मूल विभाग में सेवा प्राप्ति की लगी आबन्ध और शर्तों के होते हुए और उनके मूल विभाग से उनकी सेवानिवृत्ति होते हुए भी अध्यक्ष अथवा एक पूर्णकालिक सदस्य कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि में 3 वर्षों की अवधि तक कार्यालय का कार्यभार निरन्तर संभालेंगे।

बशर्ते कि अध्यक्ष अथवा एक पूर्णकालिक सदस्य कार्यालय में अपनी अवधि समाप्त होते हुए भी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक कार्यालय का कार्यभार निरन्तर संभालेंगे।

आगे शर्त यह है कि जब तक अन्यथा लिखित रूप में निर्णय न हो तो अध्यक्ष अथवा एक पूर्णकालिक सदस्य 60 वर्ष की आयु होने से अधिक समय तक कार्यालय का कार्यभार नहीं संभालेंगे।

(ख) और (ग) : बीबीएमबी के बोर्ड में राजस्थान सरकार के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव के रैंक का प्रतिनिधि होता है। इसके अतिरिक्त, बीबीएमबी सचिवालय के 4 महत्वपूर्ण पदों अर्थात सचिव, विशेष सचिव, निदेशक (मानव संसाधन विकास) और निदेशक (सुरक्षा), पर प्रत्येक भागीदार राज्य अर्थात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का एक-एक अधिकारी आसीन होता है। वर्तमान में, राजस्थान के अधीक्षण अभियंता पद के अधिकारी को मण्डल सचिवालय में निदेशक/मानव संसाधन के रूप में तैनात किया गया है। राजस्थान को भी बीबीएमबी संगठन में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और राजस्थान के विभिन्न अधिकारियों को, उसके हिस्से के अनुसार तैनात किया गया है।

(घ) : आज की तारीख तक, बोर्ड ने 223 बैठकों का आयोजन किया है।

(ङ) : इन बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णय समय-समय पर जारी कार्यवृत में उपलब्ध हैं, जो कि वृहद रूप में हैं। तथापि, महत्वपूर्ण सूचना बीबीएमबी की वेबसाइट अर्थात bbmb.gov.in पर उपलब्ध है। सभी निर्णयों पर यथापेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2669

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

दूर-दराज के ग्रामों का विद्युतीकरण

2669. कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री विद्युत वरण महतोः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः
श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपाराः
श्री गोपाल शेट्टीः
श्री ओम बिरलाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कारडिम के अंतर्गत ग्रामों को कवर किया है और यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) अभी तक कितने सुदूर ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है और उक्त हेतु गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से वन्य क्षेत्रों में पिछड़े ग्रामों और सुदूर ग्रामों सहित दुर्गम क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं तथा उनमें से कितने अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(ङ) क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकतर सौर प्रकाश प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त के कारण क्या हैं और सरकार द्वारा ग्रामों में स्थापित सौर प्रणाली सुचारू रख-रखाव के लिए व्यापक ठेका देने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ, सरकार ने गैर-विद्युतीकृत गांवों में और विद्युतीकृत जनगणना गांवों के पुरवों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से आधारभूत प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न राज्यों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम (आरवीईपी) का

कार्यान्वयन किया है। मानदण्ड 300 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों का था; गांव ग्रिड के निकटवर्ती वितरण ट्रांसफार्मरों से कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया हो। पात्र गांवों और पुरवों के शामिल नहीं किए गए उन घरों जो दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार अस्तित्व में थे और जिन्हें पूर्व में आरवीईपी के अंतर्गत शुरू गया था, को भी मानदण्डों में शामिल किया गया था।

(ख) : एमएनआरई ने अब तक आरवीईपी के अंतर्गत 9006 गांवों और 2329 पुरवों को शामिल किया है। गुजरात सहित विद्युतीकृत गांवों की संख्या दर्शाते हुए राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) और (घ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) गैर-पहुंच वाले तथा दूर दराज के इलाके में स्थित गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों, जहां ग्रिड संबद्धता व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत पहुंच की व्यवस्था भी करती है। पिछड़े गावों और दूर-दराज के गांवों सहित गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) : आरवीईपी के अंतर्गत सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां 5 वर्षों के अनुरक्षण के साथ संस्थापित हैं। सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों के कार्य न करने के बारे में एमएनआरई को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2669 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गुजरात सहित विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत कुल गांव	पूर्ण किए गए गांव	संस्वीकृत कुल वासस्थल	पूर्ण वासस्थल
1.	अरुणाचल प्रदेश	297	297	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	13	13
3.	असम	2192	1953	0	0
4.	छत्तीसगढ़	682	568	0	0
5.	गुजरात	38	38	0	0
6.	हरियाणा	0	0	286	286
7.	हिमाचल प्रदेश	21	21	1	0
8.	जम्मू व कश्मीर	476	334	283	15
9.	झारखंड	720	700	0	0
10.	कर्नाटक	22	16	57	14
11.	केरल	0	0	607	607
12.	मध्य प्रदेश	623	577	0	0
13.	महाराष्ट्र	353	340	0	0
14.	मणिपुर	237	237	3	3
15.	मेघालय	163	149	0	0
16.	मिजोरम	20	20	0	0
17.	नागालैंड	11	11	0	0
18.	ओडिशा	1720	1614	23	14
19.	राजस्थान	340	305	90	90
20.	सिक्किम	0	0	13	13
21.	तमिलनाडु	0	0	184	131
22.	त्रिपुरा	85	60	944	782
23.	उत्तराखंड	671	476	147	118
24.	उत्तर प्रदेश	284	113	223	222
25.	पश्चिम बंगाल	1201	1177	9	2
26.	गोवा			19	19
कुल		**10156**	**9006**	**2903**	**2329**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2669 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में संस्वीकृत डीडीजी परियोजनाएं			
क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**परियोजनाओं की सं.**	**यूईवी/वासस्थल**
2013-14 में संस्वीकृत परियोजनाएं			
1	आंध्र प्रदेश	205	205
2	छत्तीसगढ़	24	24
3	झारखंड	43	89
4	कर्नाटक	93	205
5	केरल	15	15
6	मेघालय	3	3
7	ओडिशा	7	7
8	राजस्थान	42	42
	कुल	**432**	**590**

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**परियोजनाओं की सं.**	**यूईवी/वासस्थल**
2015-16 में संस्वीकृत परियोजनाएं			
1	असम	521	521
2	अरुणाचल प्रदेश	1000	1000
3	छत्तीसगढ़	206	161
4	झारखंड	340	351
5	कर्नाटक	2	3
6	मध्य प्रदेश	154	242
7	मेघालय	77	77
8	ओडिशा	269	272
	कुल	**2569**	**2627**

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**परियोजनाओं की सं.**	**यूईवी/वासस्थल**
2015-16 में संस्वीकृत परियोजनाएं			
1	आंध्र प्रदेश	165	165
2	अरुणाचल प्रदेश	176	176
3	छत्तीसगढ़	383	383
4	झारखंड	82	82
5	कर्नाटक	30	30
6	मेघालय	132	132
7	उत्तराखंड	13	13
	कुल	**981**	**981**

	कुल	**3982**	**4198**

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2706

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संरक्षण

2706. श्री रायपति सम्बासिवा रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर विद्युत संरक्षण के महत्व को प्रकाशित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में ऊर्जा प्रभावकारिता को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) जब विद्युत उपकरणों के प्रयोग की बात आती है तो विद्युत चोरी की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या मुख्य पहलें की गई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 05 जनवरी, 2015 को सबके लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम तथा स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) शुरू किया जोकि विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, क्रमश: घरेलू लाइटिंग तथा स्ट्रीट लाइटिंग को एलईडी से बदला जाता है। ईईएसएल ने एक नया व्यापारिक मॉडल तैयार किया है, जिसमें इन कार्यक्रमों में संपूर्ण निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है तथा निवेश को समय के साथ-साथ ऊर्जा बचत से वापस किया जाता है। इससे, इस कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस स्कीम में कोई सब्सिडी नहीं है। मांग का संकलन तथा थोक में खरीद करने के

फलस्वरूप एलईडी बल्बों के खरीद मूल्य में लगभग 88% की कमी आई है अर्थात् जो बल्ब 310 रुपये (फरवरी, 2014) का था, वह घटकर 38 रुपये (अगस्त, 2016) का रह गया है (खुदरा मूल्य 550 रुपये से घटकर 65 रुपये रह गया है) जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिला है।

(घ) : देश में ऊर्जा दक्षता के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के बारे में चयन की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए उपस्करों का मानक एवं लेबलिंग (एसएण्डएल) कार्यक्रम तथा जिसके द्वारा विपणन किए गए उत्पादन की लागत बचत संभाव्यता।

(ii) निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित तथा निष्पादन प्राप्ति तथा व्यापार करों (पीएटी) स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित ऊर्जा सघन उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड का निर्धारण।

(iii) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) तैयार करना।

(iv) बहु-मंजिला आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के डिजाइन दिशा-निर्देश।

(v) नगरपालिका, घरेलू, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।

(vi) सबके लिए सस्ती एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) आधारित मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैम्पों को प्रोत्साहन।

(vii) ऊर्जा पंखों तथा कृषि पम्प सेट्स को प्रोत्साहन।

(ङ) : सरकार ने देश भर में ऊर्जा दक्ष उपस्करों/गैजेट के प्रयोग को बढ़ावा देने की पहलें की हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के द्वारा केंद्र सरकार को वह मानक एवं लेबलिंग (एसएण्डएल) कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार दिया गया है, जिसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2006 के दौरान शुरू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) उपकरण एवं उपस्कर के ऊर्जा निष्पादन मानक परिभाषित करता है तथा कई प्रशिक्षण, जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इसे अपनाए जाने को बढ़ावा देता है तथा सुविधाजनक बनाता है। ऊर्जा निष्पादन का निरुपण करने वाले लेबलों के साथ ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम उपभोक्ताओं को दक्ष उत्पादन खरीदने के लिए चयन की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं जिनसे ऊर्जा की बचत होती है तथा व्यय कम होता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2714

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत सब्सिडी हेतु डीबीटी

2714. श्री कलिकेश एन. सिंह देवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्युत सब्सिडी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाएगा; और

(घ) इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत प्रशुल्कों एवं सब्सिडियों का प्रशासन संबंधित राज्य विनियामकों द्वारा विनियामक निरीक्षण के अन्तर्गत संबंधित राज्यों/विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण योजना को शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2716

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

2716. डॉ. वीरेन्द्र कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का वर्तमान योजनावधि के दौरान कुछ पुराने तापीय और जल विद्युत संयंत्रों को आधुनिक बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है और इसमें कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लागत लाभ अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : मौजूदा पुराने विद्युत संयत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) तथा जीवन विस्तार (एलई) कार्य करने अथवा नई दक्ष सुपर क्रिटिकल यूनिटों से बदलने का निर्णय संबंधित राज्य तथा केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है। उत्पादन यूटिलिटियां मशीन की स्थिति, ग्रिड की आवश्यकताओं तथा लागत प्रभाविता को ध्यान में रखते हुए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार कार्यों/प्रतिस्थापना कार्यों की योजना बनाती हैं।

संबंधित यूटिलिटियों द्वारा जीवन विस्तार कार्यों के कार्यान्वयन से, पूर्व मामला-दर-मामला आधार पर लागत लाभ अध्ययन किया जाता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जीवन विस्तार (एलई)/नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) के लिए अभिज्ञात ताप विद्युत संयंत्रों एवं उन संयंत्रों जिनमें उत्पादन क्षमता का संवर्धन किया जा चुका है तथा अनुमानित वहन की गई लागत का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। 12वी पंचवर्षीय योजना के दौरान एलई/आरएण्डएम के लिए अभिज्ञात जल विद्युत संयंत्रों के लाभ तथा अनुमानित लागत सहित ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2716 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क. 12वीं योजना अवधि के दौरान जीवन विस्तार (एलई) / नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) के लिए अभिज्ञात संभाव्य ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा

राज्य क्षेत्र

(i) एलई कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	10	200
2		ओबरा	11	200
3		ओबरा	12	200
4		ओबरा	13	200
5		हरदुआगंज	7	110
6		परीछा	1	110
7		परीछा	2	110
8	पंजाब	भटिंडा	3	110
9		भटिंडा	4	110
10	हरियाणा	पानीपत	3	110
11		पानीपत	4	110
12	महाराष्ट्र	नासिक	3	210
13		नासिक	4	210
14		कोराडी	5	200
15		कोराडी	6	210
16		भुसावल	2	210
17		भुसावल	3	210
18		चंद्रपुर	1	210
19		चंद्रपुर	2	210
20		पार्ली	3	210
21	छत्तीसगढ़	कोरबा (पश्चिम)	1	210
22		कोरबा (पश्चिम)	2	210
23	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	6	200
24		सतपुड़ा	7	210
25	तमिलनाडु	तूतीकोरन	1	210
26		तूतीकोरन	2	210
27	आंध्र प्रदेश	डॉ .एन.टी .टीपीएस (विजयवाड़ा)	1	210
28		डॉ .एन.टी .टीपीएस (विजयवाड़ा)	2	210
29	कर्नाटक	रायचूर	1	210
30		रायचूर	2	210
31	बिहार	बरौनी	6	110
32		बरौनी	7	110
33		मुजफ्फरपुर	1	110
34		मुजफ्फरपुर	2	110

35	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	1	210
36		कोलाघाट	2	210
37		कोलाघाट	3	210
38		बंदेल	5	210

(ii) आरएण्डएम कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	7	100
2		अनपारा	1	210
3		अनपारा	2	210
4		अनपारा	3	210
5		अनपारा 'बी	4	500
6		अनपारा 'बी	5	500
7	पंजाब	रोपड़	1	210
8		रोपड़	2	210
9		रोपड़	5	210
10		रोपड़	6	210
11	हरियाणा	पानीपत	5	210
12	गुजरात	वानकबोरी	1	210
13		वानकबोरी	2	210
14		उकाई	3	200
15		उकाई	4	200
16	राजस्थान	कोटा	1	110
17		कोटा	2	110
18	झारखण्ड	पतरातु	9	110
19		पतरातु	10	110
20	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	6	110

केंद्रीय क्षेत्र

(i) एलई कार्यक्रम

क्र. सं.	यूटिलिटी	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	डीवीसी	बोकारो 'बी'	1	210
2		बोकारो 'बी'	2	210
3		बोकारो 'बी'	3	210
4		दुर्गापुर	4	210
5	एनटीपीसी	बदरपुर	4	210
6		बदरपुर	5	210
7		सिंगरौली एसटीपीएस	1	200
8		सिंगरौली एसटीपीएस	2	200
9		सिंगरौली एसटीपीएस	3	200
10		सिंगरौली एसटीपीएस	4	200
11		सिंगरौली एसटीपीएस	5	200
12		कोरबा एसटीपीएस	1	200
13		कोरबा एसटीपीएस	2	200

14		कोरबा एसटीपीएस	3	200
15		रामागुंडम एसटीपीएस	1	200
16		रामागुंडम एसटीपीएस	2	200
17		रामागुंडम एसटीपीएस	3	200
18		दादरी जीटी	जीटी-1	131
19		दादरी जीटी	जीटी-2	131
20		दादरी जीटी	जीटी-3	131
21		दादरी जीटी	जीटी-4	131
22		औरैया जीटी	जीटी-1	111.19
23		औरैया जीटी	जीटी-2	111.19
24		औरैया जीटी	जीटी-3	111.19
25		औरैया जीटी	जीटी-4	111.19
26		कवास जीटी	जीटी-1ए	106
27		कवास जीटी	जीटी-1बी	106
28		कवास जीटी	जीटी-2ए	106
29		कवास जीटी	जीटी-2बी	106
30		गांधार जीटी	जीटी-1	131
31		गांधार जीटी	जीटी-2	131
32		गांधार जीटी	जीटी-3	131

(ii) आरएण्डएम कार्यक्रम

क्र. सं.	यूटिलिटी	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस	6	500
2		सिंगरौली एसटीपीएस	7	500
3		कोरबा एसटीपीएस	4	500
4		कोरबा एसटीपीएस	5	500
5		कोरबा एसटीपीएस	6	500
6		रामागुंडम एसटीपीएस	4	500
7		रामागुंडम एसटीपीएस	5	500
8		रामागुंडम एसटीपीएस	6	500
9		फरक्का चरण-II	4	500
10		फरक्का चरण-II	5	500
11		टांडा	2	110
12		ऊंचाहार	1	210
13		ऊंचाहार	2	210
14		ऊंचाहार	3	210
15		ऊंचाहार	4	210
16		विंध्याचल	1	210
17		विंध्याचल	2	210
18		विंध्याचल	3	210
19		विंध्याचल	4	210
20		विंध्याचल	5	210
21		विंध्याचल	6	210
22		विंध्याचल	7	500
23		विंध्याचल	8	500
24		सिम्हाद्री	1	500
25		सिम्हाद्री	2	500

26		तलचर एसटीपीएस	1	500
27		तलचर एसटीपीएस	2	500
28		दादरी	1	210
29		दादरी	2	210
30		दादरी	3	210
31		दादरी	4	210
32		रिहन्द एसटीपीएस चरण III	1	500
33		रिहन्द एसटीपीएस चरण III	2	500
34		कहलगाँव	1	210
35		कहलगाँव	2	210
36		कहलगाँव	3	210
37		कहलगाँव	4	210
38	नीपको	कथालगुड़ी सीसीजीटी	जीटी-1	33.50
39		कथालगुड़ी सीसीजीटी	जीटी-2	33.50
40		कथालगुड़ी सीसीजीटी	जीटी-3	33.50
41		कथालगुड़ी सीसीजीटी	जीटी-4	33.50
42		कथालगुड़ी सीसीजीटी	जीटी-5	33.50
43		कथालगुड़ी सीसीजीटी	जीटी-6	33.50
44		कथालगुड़ी सीसीजीटी	एसटी-1	30.00
45		कथालगुड़ी सीसीजीटी	एसटी-2	30.00

ख. 12वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित ताप विद्युत एलई/आरएण्डएम स्कीमों की लाभ एवं अनुमानित लागत सूची (दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार)

यूनिट का नाम/यूटिलिटी/राज्य	**प्रारंभिक क्षमता (मेगावाट)**	**हासिल संवर्धित क्षमता (मेगावाट)**	**आई लागत सहित (अनंतिम) (करोड़ में)**
बंदेल टीपीएस) यूनिट-5)/ डब्ल्यूपीडीसीएल/ पश्चिम बंगाल	210	215	592.00
भटिण्डा टीपीएस) यूनिट-3)/ पीएसपीसीएल/पंजाब	110	120	215.00
भटिण्डा टीपीएस) यूनिट 4)/पीएसपीसीएल/पंजाब	110	120	215.00
साबरमती टीपीएस) यूनिट ई)/टोरेंट पावर/ गुजरात	110	120	177.10
साबरमती टीपीएस) यूनिट एफ)/टोरेंट पावर/गुजरात	110	120	169.65
हरदुआगंज टीपीएस (यूनिट 7)/ यूपीआरवीयूएनएल/उत्तर प्रदेश	110	120	299.00

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2716 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

12वीं योजना अवधि के दौरान अभिज्ञात जल विद्युत एलई/आरएण्डएम स्कीमों की लाभ एवं अनुमानित लागत सहित राज्य-वार सूची (दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना, एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (अनंतिम)	वास्तविक व्यय	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी
ओडिशा						
1	रेंगाली यूनिट-1 ओएचपीसी	1x50	47.50	36.76	50 (एलई)	आरएमएण्डएलई
2	रेंगाली यूनिट-2 ओएचपीसी	1x50	25.2 (लगभग)	20.73	50 (एलई)	आरएमएण्डएलई
हिमाचल प्रदेश						
3	बस्सी, एचपीएसईबी	4x15	124.25	158.26	6.0(यू)+ 60 (एलई)	आरएमयूएण्डएलई
आंध्र प्रदेश						
4	लोअर सिलेरू, एपीजेनको	4x115	8.75	6.77	-	आरएण्डएम
5	श्रीसैलम आरबी, एपीजेनको	7x110	16.70	16.62	-	आरएण्डएम
तेलंगाना						
6	नागार्जुन सागर चरण-I वर्क्स, टीएसजेनको	1x110+ 7x100.8	33.35	13.90	-	आरएण्डएम
केरल						
7	इदमालयार, केएसईबी	2x37.5	14.50	13.22	-	आरएण्डएम
8	साबरीगिरि, केएसईबी यूनिट-4	1x55	52.2	50.41	5 (यू(	आरएण्डएम
9	पोरिंगलकुठु, केएसईबी	4x8	88.63	51.63	4 (यू(+32.00 (एलई(	आरएमयूएण्डएलई
असम						
10	खान्डोंग, नीपको	1x25	25.05	29.18	25.00 (एलई(	आरएमएण्डएलई
11	कोपिली, नीपको	2x50	50.22	50.92	-	आरएण्डएम एवं यूनिट 1 व 2 का रिफर्बिशमेंट
कर्नाटक					`	
12	सूपा, केपीसीएल	2x50	3.45	3.88	-	आरएण्डएम
13	शरावती (चरण बी), केपीसीएल	10x 103.5	20	29.27	-	आरएण्डएम
उत्तराखण्ड						

क्र. सं.	परियोजना, एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (अनंतिम)	वास्तविक व्यय	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी
14	पथरी, यूजेवीएनएल	3x6.8	113.25	109.04	20.40 (एलई)	आरएमएण्डएलई
15	खटीमा, यूजेवीएनएल	3x13.8	256.77	116.97	41.40 (एलई)	आरएमएण्डएलई
जम्मू व कश्मीर						
16	लोअर झेलम, जेएण्डकेएसपीडीसी	3x35	101.30	96.10	15.00 (पुन:स्थापन)	आरएण्डएम + पुन:स्थापन
17	सम्बल सिंध, जेएण्डकेएसपीडीसी	2x11.3	25.00	24.60	-	आरएण्डएम
उत्तर प्रदेश						
18	माताटीला, यूपीजेवीएनएल	3x10.2	10.29	7.21	30.6 (एलई)	आरएमएण्डएलई
तमिलनाडु						
19	पेरियार, टैनजेडको	4x35	161.18	133.68	140 (एलई) + 28.00(यू)	आरएमयूएण्डएलई
पश्चिम बंगाल						
20	जलढाका चरण I, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	3x9	88.62	79.97	27 (एलई)	आरएमएण्डएलई
निर्माणाधीन स्कीमें						
जम्मू व कश्मीर						
21	गंदरवाल, जेएण्डकेएसपीडीसी	2x3+2x4.5	39.30	10.37	9.00 (एलई)	आरएमएण्डएलई
22	चेन्नई, जेएण्डकेएसपीडीसी	5x4.66	39.14	14.66	23.30 (एलई)	आरएमएण्डएलई
कर्नाटक						
23	भद्रा रिवर बेड यूनिट, केपीसीएल	2x12	28.015	24.21	-	आरएण्डएम

संक्षिप्तीकरण: आरएण्डएम - नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; यू - अपरेटिंग; एलई - जीवन विस्तार; आरईएस - पुन:स्थापन; एमडब्ल्यू - मेगावाट; सीएस - केंद्रीय क्षेत्र; एसएस - राज्य क्षेत्र

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2721

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा के क्षेत्र में स्वीडन के साथ सहयोग

2721. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में विद्युत मंत्री के स्वीडन दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दोनों देशों के बीच किन विशेष क्षेत्रों में सहयोग का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) इस सहयोग के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या स्वीडन के साथ ऊर्जा के विषय पर कोई अन्य समझौते भी विद्यमान हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : स्वीडन के हाल के शासकीय दौरे के दौरान, हमारी सरकार ने स्वीडिश कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी करने और भारतीय उपभोक्ता के लिए भारत में लागत प्रतिस्पर्द्धात्मक उत्पाद बनाने के लिए आमंत्रित किया।

(ख) : सहयोग के विविध अन्य क्षेत्रों, के साथ-साथ, अपशिष्ट से ऊर्जा; ऊर्जा दक्षता; नवीकरणीयों के ग्रिड एकीकरण; इलेक्ट्रो-मोबिलिटी; स्मार्ट ग्रिड्स; स्मार्ट मीटरिंग; सौर ऊर्जा; जल शोधन तथा दक्ष खनन पर चर्चा की गई।

(ग) : सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता संवर्द्धन, ऊर्जा दक्ष खनन, खनन स्वचालन तथा इष्टतमीकरण की नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने का है।

(घ) और (ङ) : द्विपक्षीय स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास की ओर दो देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2010 में स्वीडन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता-ज्ञापन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए कार्यकलापों के संयुक्त विकास की परिकल्पना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2752

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत उत्पादन

2752. श्री देवुसिंह चौहानः

श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में उर्वरक क्षेत्र की तर्ज पर अतिरिक्त 9500 मैगावाट गैस आधारित उत्पादन (80 प्रतिशत स्तर पर) को समर्थन करने के लिए गुजरात सरकार से गैस आधारित विद्युत उत्पादन हेतु प्रति यूनिट 1.50 रु प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है क्योंकि गैस आधारित अधिष्ठापित क्षमता 22962 मैगावाट है और प्रचालन क्षमता लगभग केवल 6000 मैगावाट है;

(ग) क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा के लिए गैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने हेतु बेकार पड़ी गैस क्षमता के उपयोग के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) क्या गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में निवेश करने हेतु सरकारी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कोई राजसहायता भी देने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लक्षित संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) तक घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स्पॉट पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का आयात करने की योजना की संस्वीकृति दी है। इस योजना में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में इन उद्देश्यों के लिए आयात की जा रही वृद्धिशील आरएलएनजी से संबंधित लागू होने वाले करों एवं लेवी/करों से छूट के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों सहित, सभी पणधारकों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले परित्यागों की परिकल्पना की गई है। ई-बोली आरएलएनजी की नीलामी का तीसरा चरण पूरा हो गया है तथा चौथा चरण 01 अक्तूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक प्रचालनाधीन है। चौथे चरण के अंतर्गत सफल बोलीदाताओं द्वारा 0.21 रुपए प्रति यूनिट से 0.22 रुपए प्रति यूनिट की श्रेणी के बीच की पीएसडीएफ सहायता रिवर्स नीलामी में सुरक्षित की गई है।

****